दूरभाष: 0121–2643400(असैनिक)
फैक्स : 0121–2644418
ई–मेल :cbmeerut@dgest.org

संख्या. 167/जी/
कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद्
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
मेरठ छावनी (उ0प्र0)
दिनाक जुलाई 2017

सेवा में,

1. महानिदेशक रक्षा सम्पदा,
   भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
   रक्षा सम्पदा भवन,
   उल्लानबटटार मार्ग, दिल्ली छावनी –10।
2. जीओसी इन चीफ, मध्य कमान,
   1, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ छावनी।
3. प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा,
   मध्य कमान, 17, करियप्पा मार्ग,
   लखनऊ छावनी।
4. जीओसी, मेरठ सब एरिया, मेरठ छावनी।
5. श्रीमती बीना वाधवा, उपाध्यक्ष।
6. ब्रिगेडियर एस0सी0 गुप्ता, एसईएमओ/स्वास्थ अधिकारी, पदेन सदस्य।
7. रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ।
8. कर्नल रोहित पंत, मनोनीत सदस्य।
9. कर्नल अमरवीर सिंह, मनोनीत सदस्य।
10. ले0 कर्नल चेतन वी0 धवाड, जीई(एस), पदेन सदस्य।
11. मेजर मनमोहन एस0 बरार, मनोनीत सदस्य।
12. श्री गौरव वर्मा, एडीएम, मनोनीत सदस्य।
13. श्रीमती रिनी जैन, निर्वाचित सदस्य।
14. श्रीमती बुशरा कमाल, निर्वाचित सदस्य।
15. श्री नीरज राठौर, निर्वाचित सदस्य।
16. श्री अनिल जैन, निर्वाचित सदस्य।
17. श्रीमति मन्जू गोयल , निर्वाचित सदस्य।
18. श्री धर्मेन्द्र सोनकर, निर्वाचित सदस्य।
19. श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य।

श्री राजीव श्रीवास्तव, मु.अ.अ/सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित

1–श्री राजेन्द्र अग्रवाल, माननीय संसद सदस्य
2–श्री मुनकाद अली, माननीय संसद सदस्य
3–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, माननीय विधायक

विषयः– छावनी परिषद् मेरठ की सामान्य बैठक ।

महोदय/महोदया,

छावनी परिषद, मेरठ के कार्यालय मे दिंनाक 05.06.2017 को 1130 बजे आयोजित हुई छावनी परिषद की सामान्य बैठक का कार्यवृत्त छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के प्रावधानों के अनुसार भेजा जा रहा है।

भवदीय,

कृते/–
(राजीव श्रीवास्तव)भा.र.स.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
मेरठ छावनी।

छावनी परिषद्, मेरठ की वेबसाईट पर पोस्ट कर दिया गया - cbmrt.org.in
सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज दिया गया

यह कार्यवृत्त अंग्रेजी के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद है किसी प्रकार की विसंगति होने पर अंग्रेजी का मूल पाठ ही मान्य होगा।

छावनी परिषद्, मेरठ के कार्यालय मे दिंनाक 05.06.2017 को 1130 बजे आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे :–

1. मेजर जनरल के0 मनमीत सिंह	अध्यक्ष
2. श्रीमती बीना वाधवा	उपाध्यक्ष
3. कर्नल रोहित पंत	मनोनीत सदस्य
4. कर्नल अमरवीर सिंह, एस0एम	मनोनीत सदस्य
5. श्री गौरव वर्मा, एडीएम	मनोनीत सदस्य
6. श्रीमती रिनी जैन	निर्वाचित सदस्य
7. श्रीमती बुशरा कमाल	निर्वाचित सदस्य
8. श्री नीरज राठौर	निर्वाचित सदस्य
9. श्री अनिल जैन	निर्वाचित सदस्य
10. श्री मंजू गोयल	निर्वाचित सदस्य
11. श्री धर्मेन्द्र सोनकर	निर्वाचित सदस्य
12. श्री विपिन सौढी	निर्वाचित सदस्य
श्री राजीव श्रीवास्तव, मु.अ.अ	सदस्य सचिव

निम्नलिखित अनुपस्थित थे :–

1. ब्रिगेडियर एस0सी0 गुप्ता, एसईएमओ	पदेन सदस्य
2. मेजर मनमोहन एस0 बरार	मनोनीत सदस्य
3. ले0 कर्नल चेतन वी0 धवाड	पदेन सदस्य

<u>विशेष आमंत्रित :–</u>

1. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, माननीय संसद सदस्य	विशेष आमंत्रित
2. श्री मुनकाद अली, माननीय संसद सदस्य	विशेष आमंत्रित
3. श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, माननीय विधायक	विशेष आमंत्रित

<u>५२२ शपथ ग्रहण।</u>

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के प्रावधानों के अंतर्गत ब्रिगेडियर एस0सी गुप्ता, एसईएमओ को बोर्ड का सदस्य बनने पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराना।

522. संकल्प

ब्रिगेडियर एस0सी0 गुप्ता किसी अन्य व्यस्तता के कारण बैठक मे शामिल नही हो सके जिसके कारण स्थगित किया गया। अनुपस्थिति की अनुमति अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा दी गई।

५२३ शपथ ग्रहण।

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्नल रोहित पंत को बोर्ड का सदस्य बनने पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराना।

523. संकल्प

कर्नल रोहित पंत ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के मनोनीत सदस्य के रूप मे शपथ ग्रहण की।

कर्नल अमरवीर सिंह ने भी बोर्ड के मनोनीत सदस्य के रूप मे शपथ ग्रहण की। बोर्ड को सूचित किया गया कि उनका नामांकन कार्यसूची प्रसारित होने के बाद प्राप्त हुआ था जिसके कारण अलग कार्यबिंदु नही बनाया जा सका।

अगले कार्यबिंदु पर चर्चा से पूर्व, श्री विपिन सोढी ने कार्यसूची से सम्बन्धित पत्रावलियों को सदस्यों के अवलोकन हेतु उपलब्ध न कराने का मुददा उठाया। अध्यक्ष छावनी परिषद ने बताया कि उन्होने श्री विपिन सोढी, श्री अनिल जैन, श्री धर्मेन्द्र सोनकर एवं श्री नीरज राठौर द्वारा हस्ताक्षर किये गए लिखित नोट को देखा है एवं मु.अ.अ. के नजरिये पर भी विचार किया है। चुंकि, दिंनाक 01 जून को श्रीमती शोभा गुप्ता, निदेशक रक्षा सम्पदा मध्य कमान कार्यालय मे बैठक ले रही थी, मु.अ.अ. के लिए पत्रावलियाँ उपलब्ध कराना संभव नही था जब कार्यालय को सदस्यों के पत्रावलियों के निरीक्षण हेतु कार्यालय मे आने एवं दिंनाक 02 जून से 04 जून 2017 तक श्री विपिन सोढी के शहर से बाहर होने की कोई पूर्व जानकारी नही थी। इसके अलावा सुबह के समय सभी सदस्य कार्यालय मे मौजूद थे एवं उन्होने न ही तो निरीक्षण के कहा और न ही दोपहर बाद पत्रावलियों के निरीक्षण की अपनी योजना के बारे मे मु.अ.अ. को बताया। अध्यक्ष छावनी परिषद ने सुझाया कि जो सदस्य पत्रावलियों का निरीक्षण करना चाहते है वो मु.अ.अ. को उसकी पूर्व जानकारी दे जिससे उनके द्वारा आवश्यक व्यवस्था कराई जा सके। उन्होने जोर दिया कि बोर्ड बैठक मे, सदस्यों को बैठक को अच्छे से चलाने हेतु स्थिरता एवं सख्ती से साथ कार्य विनियमन के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। मु.अ.अ. ने कहा कि बोर्ड ने जीओसी इन सी के प्राप्त पत्राचार पर पूर्व मे भी इस सम्बन्ध मे संकल्प लिया है।

५२४ छावनी अधिनियम, २००६ की धारा २६ के अंतर्गत कार्यवाही।

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 26 के अंतर्गत अध्यक्ष छावनी परिषद की पूर्व अनुमति से मु.अ.अ द्वारा की गई कार्यवाही को नोट करने हेतु:

(1) पुराने अखबार/मैगजीन/छोटे बोर्डों पर विज्ञापन/पुराना कार्यालय फर्नीचर की नीलामी के लिए दी गई स्वीकृती दिंनाक 28.03.2017।

524. संकल्प

नोट किया गया।

५२५ छावनी परिषद कर्मचारियों को सी.एस.डी कैंटीन की सुविधा

अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉग्रेस नामक कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यवेदन दिंनाक शून्य जो इस कार्यालय मे दिंनाक 08.03.2017 को प्राप्त हुआ है जिसमे यह कहा गया है कि छावनी परिषद मेरठ के कर्मचारियों को भी सी.एस.डी. कैंटीन की सुविधा दी जाए क्योकिं वह भी रक्षा मंत्रालय के अधीन सिविल सेवा मे है। संघ ने यह भी कहा है कि रूडकी, बबीना, चकराता एवं बैरकपुर छावनी परिषदों के कर्मचारी सीएसडी सुविधा का लाभ ले रहे है एवं छावनी परिषद रूडकी एवं चकराता मध्य कमान के अंतर्गत है। अपने अभ्यवेदन के समर्थन मे संघ ने छावनी परिषद रूडकी के सम्बन्ध मे कैंटीन स्मार्ट कार्ड की प्रतिलिपि एवं छावनी परिषद बबीना, चकराता एवं बैरकपुर से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सूचना लगाई है, प्रथम दृष्टया यह लगता है कि ऐसी सुविधा उपरोक्त कथित छावनी परिषदों को दी जा रही है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

525. संकल्प

स्टाफ को स्मार्ट कार्ड जारी करते हुए सीएसडी कैंटीन की सुविधा को बढाने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कॉग्रेंस छावनी परिषद मेरठ शाखा के अनुरोध पर विचार किया गया। मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। कर्नल रोहित पंत, मनोनीत सैन्य सदस्य एवं एडम कमांडेंट ने कहा कि छावनी परिषद कर्मचारियों को सीएसडी कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अध्यनन की आवश्यकता है क्योकि वे न ही तो सैन्य सेवाओं मे है और न ही केन्द्र सरकार की सिविल डिफेंस सेवाओं मे है। बोर्ड ने छावनी अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ ग्रहण किया एवं बोर्ड ने छावनी परिषद स्टाफ के नियोक्ता एवं सीएसडी सुविधा के लिए उनकी पात्रता के लिए कानूनी स्थिति के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण की ईच्छा व्यक्त की।

मु.अ.अ. ने बोर्ड को छावनी परिषदों मे नियुक्त स्टाफ की छावनी अधिनियम 2006, छावनी निधि सेवक नियमावली 1937, भारत सरकार द्वारा जारी समय समय पर आदेश एवं माननीय उच्चतम न्यायालय जो एआईआर 1988 एससी पृष्ठ 958 के प्रावधानों को उद्वत करते हुए कानूनी स्थिति बताई। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट निम्न है :–

1. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 10 की उप–धारा (2) छावनी परिषदों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243पी की कंडिका (ई) के अंतर्गत एक म्यूनिसिपैलिटी बताती है।

2. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 11 का प्रावधान स्पष्ट करती है कि छावनी परिषद एक निगमित निकाय है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार है एवं यह स्पष्ट दर्शाता है कि इसके कर्मचारी एक विशेष बोर्ड के कर्मचारी है जिसमे उनको नियुक्त किया गया है। छावनी परिषद के कर्मचारी न ही तो केन्द्र सरकार के और न ही राज्य सरकार के कर्मचारी है।

3. छावनी परिषद के स्टाफ के सम्बन्ध मे उपरोक्त उल्लिखित कानूनी स्थिति छावनियों के कर्मचारियों एवं भारत सरकार के मध्य हुए विवाद जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिंनाक 24 नवम्बर 1985 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एसआरओ संख्या 578 दिंनाक 04 मार्च 1960 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है मे भारतीय औद्योगिक न्यायधिकरण द्वारा बोंबे मे संदर्भ संख्या (एनटी) 2 ऑफ 1958 के दिए गए अवॉर्ड से सिद्ध होती है। इसके अलावा, दिंनाक 13 मई 1969 को विभागों एवं कर्मचारी संघों के मध्य एक मैमॉरेंडम ऑफ सेटलमेंट किया गया था जो अभी भी प्रभावी है।

4. छावनी परिषद कर्मचारियों की सेवाएं छावनी निधि सेवक नियमावली 1937 नामक नियमावाली से नियंत्रित है एवं उन्हे छावनी लेखा संहिता, 1924 के अंतर्गत छावनी निधि से वेतन का भुगतान किया जाता है।

5. इस सम्बन्ध मे भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने पत्र संख्या 25/25/सी/एल एंड सी/65 दिंनाक 06.05.1966 के माध्यम से यह स्पष्ट कहते हुए सर्कुलर जारी किया है कि ''**संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षा छावनी परिषदों के कर्मचारियों तक नही बढाई जा सकती क्योकिं छावनी परिषदों के कर्मचारी संद्य या राज्य के अंतर्गत कोई सिविल पद ग्रहण नही कर सकते जो अनुच्छेद 310(1) व 311(1) के द्वारा परिभाषित है। छावनी परिषद संवैधानिक प्राधिकारी है एवं जो संद्य या राज्य की सरकार से अलग है''।**

6. भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने एक अन्य पत्र संख्या 25/63/सी/एल एण्ड सी/67 दिंनाक 28.10.1967 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ''**चुंकि छावनी निधि सेवक केन्द्र सरकार के कर्मचारी नही है वे रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सिविल कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेश/निर्देशों द्वारा नियंत्रित नही है जब तक की उन्हे छावनी परिषद कर्मचारियों तक रक्षा मंत्रालय (वित्त) की पूर्व अनुमति से विस्तारित नही किया जाता।''**

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाम डा0 सुभाष चन्द्र के मामले मे दिए गए निर्णय जो एआईआर 1988 एससी 958 मे दिया गया है स्पष्ट कहा है कि छावनी परिषद एक अलग स्वतंत्र ईकाई है। यह सरकार से अलग है एवं इसके कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारी नही है। वह छावनी परिषद के कर्मचारी है जो एक अलग ईकाई है।

8. यह तथ्य आगे भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के सर्कुलर (म.नि र.स) के पत्रांक 28/83/सी/एल एंड सी/73 दिंनाक25.08.1993 के भी सिद्ध होता है जो स्पष्ट कहता है कि ''**छावनी परिषद एक स्वत्त निकाय है एवं सभी कर्मचारी एक अलग बोर्ड के कर्मचारी है। इस प्रकार से एक विभागीय कर्मचारी का अर्थ केवल उस बोर्ड के कर्मचारी से है जिसमे नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति करने वाले बोर्ड से अलग बोर्ड के कर्मचारी एक नियुक्ति करने वाले बोर्ड मे विभागीय आवेदक नही माना जा सकता''।**

बोर्ड ने उपरोक्त पर विचार कर इस तथ्य के दृष्टिगत निर्णय लिया कि छावनी परिषद एक स्वतंत्र निकाय है एवं इसके कर्मचारी न ही तो केन्द्र सरकार के और न ही राज्य सरकार के कर्मचारी है, केन्द्र सरकार (डीओपीटी) से प्र.नि.र.स/म.नि.र.स के माध्यम से यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि क्या सीएसडी सुविधा छावनी परिषद कर्मचारियों को इसके लिए सक्षम मानते हुए

दी जा सकती है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात मामला पुनः बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि कर्नल रोहित पंत बोर्ड को छावनी परिषद कर्मचारियों को सीएसडी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। निर्वाचित सदस्यों ने भी बोर्ड के सदस्यों के रूप मे उनकी अवधि के दौरान सीएसडी सुविधा मिलने की ईच्छा जाहिर की। अध्यक्ष छावनी परिषद के कहा कि सीएसडी के वर्तमान निर्देशों मे निर्वाचित सदस्यों की पात्रता को खोजा जाएगा।

५२६ शुद्धि पत्र

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 386 दिंनाक 17.01.2017।

संदर्भित छा0बो0स मे अनुमोदित क्रम संख्या 4 पर श्री टी0एस0 कोहली पुत्र श्री बी0एस कोहली के स्थान पर श्री इन्द्र जीत सिंह कोहली पुत्र श्री बी0एस0 कोहली पढने एवं नोट करने हेतु।

526. संकल्प

नोट किया गया।

५२७ वित्तीय समिति की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि।

वित्तिय समिति की बैठक दिनाँक 24.05.2017 के कार्यवृत की पुष्टि करने हेतु।

527. संकल्प

विचार कर पुष्टि की गई।

५२८ सीआरपीसी १९७३ की धारा १९७ के अंतर्गत अभियोग चलाने की स्वीकृती।

व0पु0अधि0, जिला मेरठ से प्राप्त पत्र दिंनाक विविध/जी/153 दिंनाक 20.05.2017 जिसमे उन्होने भा0द0वि की धारा 147, 304ए के अंतर्गत अपराध के लिए वाद संख्या 309/2016 मे छावनी परिषद मेरठ के निम्नलिखित कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृती मांगी है:—

1. श्री अनुज सिंह, छा0अ0अभि
2. श्री पीयूष गौतम, स0अभि
3. श्री अवधेष यादव, अ0अभि (सि)
4. श्री अरविंद गुप्ता, अ.अभि
5. श्री योगेश यादव, स0नि0

बोर्ड को सूचनीय है कि दिंनाक 09.07.2016 को छावनी परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवमानना वाद संख्या 380/2001 मे पारित आदेश दिंनाक 29.01. 2014 के अनुपालन मे बंगला संख्या 210—बी, वेस्ट एंड रोड, मेरठ छावनी मे अवैध निमार्ण/मॉल

का ध्वस्तीकरण किया गया। ध्वस्तीकरण स्थानीय पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी मे किया गया। अभियान के दौरान अचानक दुर्घटना के कारण 04 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी एवं छावनी परिषद स्टाफ के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने उपरोक्त उल्लिखित कर्मचारियों के विरूद्ध मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित की जो पटल पर प्रस्तुत है। पुलिस ने उपरोक्त उल्लिखित कर्मचारियों के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 197 के अंर्तगत मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृती मांगी है।

श्री अनुज सिंह एवं श्री पीयूष गौतम के पर्यवेक्षक स्टाफ होने के नाते सक्षम अधिकारी बोर्ड है एवं अन्य कर्मचारियों के मामले मे सक्षम अधिकारी मु.अ.अ. है।

व0पु0अ मेरठ से प्राप्त रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

528. संकल्प

विचार किया गया। मु.अ.अ. ने बोर्ड को मामले एवं उसके द्वारा पूरे मुददे पर पूर्व मे लिए गए संकल्पों के बारे मे बताया। उन्होने सूचित किया कि श्री अनुज सिंह छा0अ0अभि को ध्वस्तीकरण कार्यवाही मे शामिल नही किया गया था एवं पुलिस के पत्र मे जिन अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोग की अनुमति मांगी गई है उन्ही को इसमे शामिल किया गया था। उपाध्यक्ष श्रीमती बीना वाधवा ने स्टाफ को दी जाने वाली सुरक्षा के सम्बन्ध मे छावनी अधिनियम 2006 की धारा 338 का संदर्भ दिया। मु.अ.अ. ने बोर्ड के सदस्यों की जानकारी के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 338 कसे पढकर सुनाया। बोर्ड ने विस्तृत चर्चा के पश्चात निर्णय लिया कि चुंकि स्टाफ वास्तविक कार्यालयीन डयूटी पर था एवं कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार की जा रही थी, सम्बन्धित स्टाफ को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 338 के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षा उपलब्ध है। निर्णय लिया गया कि सिद्वांत मे, सीआर पीसी 1973 की धारा सहपठित छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 338 के अनुसार अभियोग चलाने की कोई अनुमति न दी जाए। बोर्ड ने यह भी पाया कि पुलिस द्वारा भेजे गए दस्तावेज बडी मात्रा मे है जिनका अध्यनन एवं अवलोकन करना आवश्यक है। निर्णय लिया गया कि वह किया जाए एवं मामला बोर्ड के समक्ष आगे की कार्यवाही के लिए यथासमय रखा जाए।

५२९ कल्याणम करोती एवं छावनी परिषद् के बीच कैन्ट जनरल अस्पताल में संचालित आईविंग के करार का नवीनीकरण ।

कल्याणम करोती एवं छावनी परिषद् के बीच कैन्ट जनरल अस्पताल में संचालित आईविंग के करार का नवीनीकरण।

बोर्ड को सूचनीय है कि कैन्ट जनरल अस्पताल छावनी परिषद के परिसर में एक आईविंग कल्याणम करोती नामक एनजीओ के द्वारा संचालित है। यह करार

सुचारू रूप से १९९४ से चल रहा है और बोर्ड द्वारा वार्षिक आधार पर अनुमति दी जाती है, प्रतिवर्ष उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर करार कराया जाता है।

बोर्ड के प्रस्ताव संख्या २२८ दिनाँक १०.०६.२०१६ के द्वारा आईविंग चलाने हेतु दिनाँक ०१.०१.२०१६ से ३१.१२.२०१६ तक अनुमति दी गई। दिनाँक ०१.०९.२०१६ को आवश्यक करार ०१.०१.२०१६ से ३१.१२.२०१६ की अवधि के लिये किया गया।

बोर्ड को पुनः सूचनीय है कि पत्र दिनाँक २७.०४.२०१७ के द्वारा (रिटा०) ब्रि० एस.सी. जौहर, ए.वी.एस.एम. जनरल सचिव कल्याणम करोती के द्वारा करार के नवीनीकरण/अवधि बढ़ाने हेतु पत्र दिया गया।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय लें।

529. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि मौजूदा व्यवस्था को दिंनाक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक नवीनीकृत कर दिया जाए एवं पिछले अनुबंध के अनुसार आवश्यक अनुबंध किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से, यदि अनुबंध को नवीनीकृत किया जाता है, एनजीओ को अपना अलग बिजली मीटर लगाने के लिए कहा जाए।

५३० कैन्ट जनरल अस्पताल में संवीदा पर रखे गये पैरामैडिकल स्टाफ का नवीनीकरण।

कैन्ट जनरल अस्पताल में संवीदा पर रखे गये पैरामैडिकल स्टाफ के नवीनीकरण के विचार हेतु।

बोड को सूचित किया जाता है कि श्री जोय के सिंह, नर नर्स एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर लगे हुए थे। वर्तमान समझौता ३१.०५.२०१७ की समाप्ति के लिए है और श्री जॉय के सिंह ने अपने आवेदन को १५.०४.२०१७ के द्वारा एक वर्ष की दूसरी अवधि के लिए अपने अनुबंध को नवीनकृत करने के लिए अनुरोध किया है। १५.०४.२०१७ के पत्र के माध्यम से आर०एम०ओ० कैन्ट जनरल अस्पताल ने अनुबंध के नवीनीकरण की सिफारिश की है। श्री जॉय के सिंह ऑपरेशन थिएटर, ड्रेसिंग रूम एवं वार्ड के कार्यों में किए जाने वाले शल्यचिकित्सा प्रक्रियाओं में पूर्ण रूप से सहायता करते है।

आर०एम०ओ० के द्वारा प्रेषित पत्र पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय लें।

530. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि श्री के0 जॉय सिंह की नियुक्ति को दिंनाक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक एक वर्ष के लिए मौजूदा नियम एवं शर्तों पर नवीनीकृत कर दिया जाए।

५३१ छावनी परिषद द्वारा संचालित सी०ए०बी० इन्टर कालेज एवं प्राथमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन।

विषयोक्त कार्य हेतु दिनाँक २०.०४.२०१७ को आमंत्रित निविदाओं पर विचार हेतु। निविदा सूचना दिनाँक २४.०३.२०१७ को स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान एवं जनवाणी में प्रकाशित कराई गई थी। केवल दो फर्मों मै० अलकनन्दा एसोसिएट और मै० सुरज सिक्योरिटी सर्विसेस द्वारा हिस्सा लिया गया। ने कैन्ट जनरल अस्पताल में संवीदा पर रखे गये पैरामैडिकल स्टाफ के नवीनीकरण के विचार हेतु। तकनीकी बोली का मूल्यांकन निम्न प्रकार है :-

S.No.	PARTICULARS	M/s Alaknanda Associates	M/s Suraj Security Services
1.	EMD	Yes	Yes
2.	Regd of agency with Registrar of firms	Yes	Yes
3.	PAN	Yes	Yes
4.	Registration with ESI	Yes	Yes
5.	Registration with EPF	Yes	Yes
6.	Registration with Service tax	Yes	Yes
7.	Experience (one year)	Experience submitted only for (labour etc not for teachers)	Experience submitted only for (labour etc not for teachers)
8.	Partnership deed	Yes	Yes
9.	Registration with Labour Dept.	Yes	Yes

बोर्ड को सूचनीय है चूँकि केवल दो बोली ही प्राप्त हुई है अतः वित्तिय बोली अभी तक नही खोली गई है, अतः उचित प्रतियोगिता हेतु बोलियां निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायें।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय लें।

531. संकल्प

विचार किया गया कि चुंकि केवल 02 बोली ही प्राप्त हुई है, पर्याप्त संख्या की बोली जो कि 03 या अधिक है न होने के कारण बोलियों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। नई निविदाएं आमंत्रित की जाए।

५३२ छावनी परिषद मेरठ छावनी के सम्बन्ध मे बजट आंकलन २०१७–१८ (संशोधित) एव २०१८–१९(वास्तविक)।

संदर्भ : निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान पत्रांक 82877/जेन/एलसी–8/2016–17 दिंनाक 08.02.2017 एवं 02.05.2017 व 19.05.2017 एवं निदेशक रक्षा सम्पदा मध्य कमान का डीओ पत्र दिंनाक 24.04.2017।

छावनी परिषद मेरठ के वर्ष 2017–18 (संशोधित) एवं 2018–19(वास्तविक) के लिए बजट आंकलनों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु।

कार्यालय रिपोर्ट

1. बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी परिषद मेरठ के वर्ष 2017–18 (संशोधित) एवं 2018–19 (वास्तविक) के लिए बोर्ड के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त व्यवस्थाओं/आवश्यक्ताओं के आधार पर एवं निदेशालय रक्षा सम्पदा के संदर्भित पत्र मे ''स्मार्ट कैन्ट योजना'' के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यो को शामिल करने के सम्बन्ध मे निहित निर्देशों के अनुसार छावनी लेखा संहिता 1924 के नियम 17 ए के अनुसार बजट आकंलन तैयार कर लिये गए है।

2. बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों से भी इस कार्यालय के पत्र संख्या एमसीबी/10020/2017–18/एसीसीटी/बजट/1255 दिंनाक 19.05.2017 के माध्यम से उनके वार्ड मे होने वाले कार्य/सुझाव मांगे गए थे। निर्वाचित सदस्यों से प्राप्त सुझाव/मांग/कार्यों का ब्यौरों को ''लोक कार्य डी–1 एवं डी–2'' एवं अन्य सम्बन्धित मद्दों मे शामिल किया गया है।

3. प्रधान निदेशालय रक्षा सम्पदा को दिंनाक 15 जून 2017 से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट आंकलन अग्रेषित किए जाने है।

4. वर्ष 2017–18(संशोधित) एवं 2018–19(वास्तविक) बजट आंकलन का मसौदा बजट सार तथा अनुसंलनग्कों सहित पटल पर प्रस्तुत है।

   वर्ष 2017–18 के लिए बजट आंकलन (संशोधित) का मसौदा एवं 2018–19 (वास्तविक) का सार निम्न हैः–

BUDGET ESTIMATES FOR 2017-18 (R) & 2018-19 (O) OF MEERUT CANTT
AT A GLANCE : RECEIPTS

HEAD	ACTUAL FOR 2016-17	PROVISION FOR YEAR 2017-18 (O)	PROVISION FOR YEAR 2017-18 (Revised)	PROVISION FOR YEAR 2018-19 (Original)
Opening Balance	196206005	89045000	170999000	117623000
Taxes (House Tax, Water Tax, Show Tax)	41436081	60302000	60350000	60300000

Toll Tax	32505813	37500000	8473000	0
Octroi share from State Govt	0	0	0	0
Service Charges	251224119	301600000	431600000	301600000
Mily Conservancy	52360097	82925000	155723000	110757000
Non Tax Revenue	27557288	28534000	34421000	34421000
Interest on Deposit	5332222	2500000	5500000	5000000
Grant from Govt	242237144	505623000	957781000	765492000
Deposit (Securities)	18422709	20000000	22000000	22000000
Withdrawal from savings	222500000	0	165000000	0
Grant Total	**1089781478**	**1128029000**	**2011847000**	**1417193000**

BUDGET ESTIMATES FOR 2017-18 (R) & 2018-19 (O) OF MEERUT CANTT
EXPENDITURE

HEAD	ACTUAL FOR 2016-17	PROVISION FOR YEAR 2017-18 (Original)	PROVISION FOR YEAR 2017-18 (Revised)	PROVISION FOR YEAR 2018-19 (Original)
A. a Establishment (except Mily Consy staff)	196965820	233452000	313359000	264564000
b. Pension	99037447	114438000	165180000	100523000
A. Total	**296003267**	**347890000**	**478539000**	**365087000**
B (a) ORIGINAL WORKS				
(a) Buildings	0	10700000	92135000	47500000
(b) Roads	0	0	33615000	0
(c) Drainage	0	170800000	354179000	400000000
(d) Water Supply	9888691	0	39900000	0
(e) Stores	0	105000000	0	0
(f) Misc Public Improv	0	5000000	10000000	0
(b) MNTC WORKS				
Other Buildings D2(aa)	17658829	25000000	52000000	40000000
Hospital Building D2(ab)	1327224	4500000	4500000	4500000
Schools BuildingsD2(ac)	0	3000000	10000000	10000000

Roads	66062039	39000000	50000000	50000000
Drains	516143	14000000	20000000	20000000
Water Supply	5865141	15575000	15600000	15600000
Stores	2457229	3000000	5000000	5000000
Misc Public Impv	4791617	8000000	10000000	10000000
B. Total	**108566913**	**403575000**	**696929000**	**602600000**
c. MILY CONSY	**59929329**	**82925000**	**155723000**	**110757000**
D. CONTINGENCIES	179102566	192759000	374833000	230674000
TOTAL A+B+C+D	**643602075**	**1027149000**	**1706024000**	**1309118000**
Investment	260000000	0	165000000	0
Security, Advance, loan	15180545	21200000	23200000	23200000
Closing Balance	170998858	79680000	117623000	84875000
GRAND TOTAL	**1089781478**	**1128029000**	**2011847000**	**1417193000**

बोर्ड विचार कर अनुमोदित करे।

532. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि ब.आ 2017–18 (वा) के मसौदे की प्राप्ति की ओर मद्द आई (1) के भीतर मौजूदा मांग के साथ साथ पिछले 03 वर्ष की प्राप्ति या औसत मे रू 43.16 करोड के स्थान पर रू 30.16 करोड की व्यवस्था की जाए। रू 13 करोड का फर्क सहायता अनुदान (सामान्य) मे प्राप्ति की ओर वी(अ) मद्द मे शामिल किया जाए। मेरठ छावनी का वर्ष 2017–18(संशोधित) एवं 2018–19(वास्तविक) को उपरोक्त संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया। छावनी लेखा संहिता, 1924 की धारा 17–ए के अनुसार जीओसी इन चीफ, मध्य कमान की स्वीकृती के लिए बजट आंकलन प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा मय कमान लखनऊ को प्रेषित किया जाए।

५३३ शिवाजी कॉलोनी, बीसी बाजार, मेरठ छावनी मे निम्न आय वर्ग के लिए मकान (एल.आई.जी.एच)।

सन्दर्भ : छावनी परिषद् संकल्प संख्या ५०२ दिनाँक २७.०२.२०१७।

उपरोक्त कथित छा0बो0स0 के माध्यम से एल.आई.जी.एच क्वार्टरों मे वास्तविक आवंटी के मृत्यु के बाद या वास्तविक आवंटी से आपसी समझौते पर रह रहे अवैध कब्जेदारों/कानूनी

उत्तराधिकारियों से क्षमन/स्थायीकरण शुल्क, लाईसेंस शुल्क मे वृद्धि करने एवं पिछले एरियर को स्वीकार करने पर विचार किया था।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि उप–समिति की रिपोर्ट दिंनाक 30.08.2012 बोर्ड के समक्ष उसकी बैठक दिंनाक 27.02.2017 को रखी गई थी। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 502 दिंनाक 27.02.2017 के माध्यम से उप–समिति की रिपोर्ट दिंनाक 30.08.2012 के माध्यम से दी गई संस्तुतियों पर विचार कर अनुमोदित करने का संकल्प लिया। उस पर तत्काल प्रभाव से कार्य किया जाए एवं मु.अ.अ उप–समिति की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। सभी अवैध अधिभोगियों के विरूद्ध पीपीई अधिनियम के अनुसार कार्यवाही अमल मे लाई जाए। अवैध अधिभोग अवधि के लिए बकाया लाईसेंस शुल्क एवं नुकसान की वसूली की जाए। मु.अ.अ. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मु.अ.अ यह सुनिश्चित करेंगे कि हर लाईसेंसी/आवंटी आवंटन की सभी नियम एवं शर्तों को पूरा करता है एवं उलंघन की स्थिति मे आवंटन को समाप्त करने एवं निकालने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। श्रीमती मंजू गोयल ने लिखित नोट दिया जो नीचे चस्पा हैः–

डायरेक्टर, ऑडिट, सी0सी0, मेरठ के पत्र सं0 23 दिंनाक 22.08.2012 व इस आईटम में स्पष्ट है कि छावनी परिषद को करोडों रूपये का आउस रेन्ट वसूली न होने के कारण नुकसान उठाना पड रहा है। शिवाजी कॉलोनी स्थित क्वाटर्स में अवैध कब्जेदारों को वहा से हटाया जाये या उनसे लगभग दो लाख रूपये व लीगर हायरों से 25 प्रतिशत ट्रांस्फर/रेगुलाईजेशन फीस के रूप मे वसूल कर कियाये की रसीदें अनुमोदित दरों पर सी0ई0ओ0 के माध्यम से वसूल की जाए, जिससे कि छावनी परिषद की आय मे कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

उप–समिति की रिपोर्ट के अनुसार केवल 5प्रतिशत एलआईजीएच क्वार्टर ही रिपोर्ट मे उल्लिखित नियम एवं शर्तों को पूरा करते है। अतः, 95 प्रतिशत एलआईजीएच क्वार्टरों को खाली कराने की कार्यवाही अमल मे लाया जाना जल्दी संभव नही है। बोर्ड ने पहले से ही स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कराया हुआ है जो उपयुक्त है एवं और स्टाफ क्वार्टरों की आवश्यकता नही है।

एलआईजीएच क्वार्टरों के अधिभोगियों ने मिलकर लाईसेंस शुल्क एवं संबद्ध शुल्क जमा करने के लिए संयुक्त प्रार्थना पत्र दिंनाक 10.04.2017 प्रेषित किया है। बोर्ड ने इस शर्त पर लाईसेंस शुल्क एवं संबद्ध शुल्क स्वीकार कर लिया कि छावनी परिषद संकल्प की अग्रिम कार्यवाही तक बोर्ड के हित को हानि पहुंचाए बिना लाईसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्कों को स्वीकार कर लिया क्योकिं लाईसेंस शुल्क छा0बो0स0 के पहले का है एवं उपरोक्त कारण से आगामी अवधि का भी लाईसेंस शुल्क स्वीकार कर लिया जाए।

छावनी परिषद जलंधर ने भी एलआईजीएच क्वार्टरों का निर्माण किया है जिसका नाम कस्तूरबा नगर कॉलोनी है। एलआईजीएच कॉलोनी के कथित क्वार्टरों के अधिभोगियों ने अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिविजन)/सीजेएम जलंधर के न्यायालय मे एलआईजीएच क्वार्टरों को खाली न कराने के लिए सिविल वाद संख्या 8/2002 दायर किया है जो कस्तुरबा गाँधी बनाम सचिव के माध्यम से भारत सरकार नाम से है। न्यायालय ने आदेश दिंनाक 16.12.

2010 के द्वारा वादी का वाद स्थायी निषेध आज्ञा हेतु वादी के पक्ष मे डिकरी किया विपक्षीगण के विरूद्ध विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध यह निर्देश देते हुए कि अल्प आय वर्ग आवास समूह अक्टुबर 1957 के संस्करण 2 प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा स्वीकार की गई है कि आत्मा एवं सार्वभौम रूप से जो कस्तुरबा नगर कॉलोनी स्थित जालंधर कैंट के सम्बन्ध मे है। आगे वादी का वाद स्थायी निषेध आज्ञा हेतु डिकरी किया गया जिसके द्वारा कस्तुरबा नगर क्वार्टरो के रहने वाले लोगो के शांति पूर्वक कब्जे से बेदखल करने अथवा उनके कब्जे मे किसी प्रकार का परिवर्तन करने से रोका गया। वादी का वाद सवय डिकरी किया गया।

बोर्ड ने एलआईजीएच क्वार्टरों के सम्बन्ध मे कानूनी उत्तराधिकारियों से अंकन 75000 रू जो परिवार की परिभाषा मे आते है लेकर नियमितीकरण करने का और जो परिवार की परिभाषा मे आते है उनसे छावनी बोर्ड प्रस्ताव संख्या 587 दिंनाक 29.05.2002 के द्वारा कोई शुल्क न लेने का निर्णय लिया था।

बोर्ड को सूचनीय है कि 148 एलआईजीएच क्वार्टरों मे से, 49 कर्वाटरों मे कानूनी उत्तराधिकारी एवं 19 मामलों मे अवैध अधिभोगी रह रहे है एवं 05 क्वार्टरों मे ताला लगा है एवं छावनी परिषद अवैध अधिभोगियों/कानूनी उत्तराधिकारियों से लाईसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्क नही वसूल रहा है। लाईसेंस शुल्क को स्वीकार न करने के कारण लाईसेंस शुल्क के नाम पर 31.03.2017 तक 'ए' वर्ग से रू 14,44,000/– एवं 'बी' वर्ग से रू 1920000/– कुल लगभग रू 33,64,000/– अवैध अधिभोगियों/कानूनी उत्तराधिकारियों पर बकाया है।

राजस्व के हित मे एवं एलएओ (बी) एवं सी एंड एजी कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति के निपटारे के लिए, पूर्व के अभ्यास की भॉति, बोर्ड सभी बकाया, क्षमन शुल्क/नियमीकरण शुल्क लगाकर स्वीकार करे एवं अवैध अधिभोगियों/कानूनी उत्तराधिकारियों का शुल्क मे भी वृद्धि करें। यदि कोई व्यक्ति बकाया राशि, क्षमन/नियमीकरण शुल्क एवं बढे हुए शुल्क को जमा करने मे असफल रहता है, उसके विरूद्ध क्वार्टर को खाली कराने की कार्यवाही की जाए।

वर्तमान मे, बोर्ड ने छा0बो0स0 50 दिंनाक 26.02.2015 के माध्यम से 'ए' वर्ग के लिए रू 1500/– की दर से एवं 'बी– वर्ग के लिए रू 1000/– की दर से लाईसेंस शुल्क मे वृद्धि की है जो 2015–16 से बोर्ड केवल वास्तविक आवंटी से ही वसूल रहा है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

533. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध अधिभोगी के लाईसेंस के नियमीकरण के लिए नियमीकरण शुल्क रू 1,50,000/– लगाया जाए। यदि किसी मामले मे अवैध अधिभोगी वास्तविक/अधिकृत आवंटी का कानूनी उत्तराधिकारी हो तो, अवैध अधिभोगी से नियमीकरण शुल्क का 25 प्रतिशत राशि वसूल की जाएगी। लाईसेंस के नियमीकरण के लिए अवैध अधिभोगी नोटरी किया हुआ एक शपथ पत्र प्रेषित करेंगे कि एलआईजीएच क्वार्टर खाली करने पर वह शांति से कब्जा दे देंगे। इसके लिए वह छावनी परिषद के साथ एक नया अनुबंध भी करेंगे। यदि

किसी मामले मे अवैध अधिभोगी वास्तविक आवंटी के कानूनी उत्तराधिकारी है एवं छावनी परिषद की सेवाओं मे है, अधिभोग का नियमीकरण बिना किसी नियमीकरण शुल्क के केवल सेवा अवधि के लिए ही होगा जिसके लिए अनुबंध किया जाएगा। वह सेवा से सेवानिवृत्त/सेवाएं समाप्त होने पर उन्हे क्वार्टर का शांति से कब्जा देना होगा, ऐसा न करने पर, उनसे वह खाली कराया जाएगा एवं सरकारी आवास खाली न करने के लिए होने वाली कार्यवाही की जाएगी। कार्यालय उपरोक्त वर्ग के क्वार्टरों के लाईसेंस के नियमीकरण के लिए 03 माह का नोटिस जारी करेगा जिसके भीतर नियमीकरण के प्रार्थना पत्र एवं अन्य कार्यवाही की जाएगी। किसी मामले मे, उपरोक्तउल्लिखित वर्ग मे कथित नोटिस अवधि मे अधिभोगी नियमीकरण के लिए आवेदन नही करता है तो उसके विरूद्ध अवैध अधिभोगी निष्कासन अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

५३४ छावनी निधि दुकानों के सम्बन्ध मे हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क मे वृद्धि।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 499 दिंनाक 27.02.2017।

मेरठ छावनी की सीमा मे विभिन्न स्थानों पर स्थित छावनी निधि दुकान/गोदाम/प्लैटफॉर्म/फड/स्टॉल/कमरे आदि के हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क मे वृद्धि पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी निधि दुकानो आदि के सम्बन्ध मे हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क मे वृद्धि मामला दिंनाक 27.02.2017 को आयोजित हुई बोर्ड की बैठक मे रखा गया था। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 499 दिंनाक 27.02.2017 के माध्यम से विचार कर निर्णय लिया कि अवैध रूप से कब्जा किए हुए गोदामों/फडों एवं स्टॉलों आदि के अधिभोगी अधिकारों कों मौजूदा अधिभोगियों के नाम पर नियमित कर दिया जाए एवं अधिभोगियों से कार्यसूची मे उल्लिखित हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क या एसटीआर आधार पर हस्तांतरण शुल्क की गणना कर दोनों मे जो भी अधिक हो वसूला जाए। मु.अ.अ. डीएम सर्किल रेट/एसटीआर के अनुसार गणना शीट तैयार कराने के लिए अधिकृत है। यदि ऐसी गणना कार्यसूची मे प्रस्तावित दरों से कम पाई जाती है तो कार्यसूची मे उल्लिखित प्रस्तावित दरों की ही वसूली की जाए।

अधिभोग अधिकारों की अवधि नियमीकरण से एक वर्ष के लिए होगी एवं उसके पश्चात, छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

बोर्ड को सूचनीय है कि संदर्भित छा0बो0स मे हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क की गणना के लिए कोई निर्देश/तरीका उल्लिखित नही है, अतः हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क की गणना करना संभव नही है।

छावनी निधि सम्पत्तियों के अवैध अधिभोगी/कानूनी उत्तराधिकारी के लिए निम्नलिखित हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क प्रस्तावित हैः–

S. No.	Cantt Fund Shop etc and Location	Area of shops	Present transfer/ regularization fee	Proposed transfer/ regularization fee

		(approx in Sqmtr)	U/a occupants	Legal heirs	U/a occupants	Legal heirs
1	Shops Boundary Road	24-30	75,000/-	750/-	2,00,000/-	25% of proposed transfer/ regularization fee
2	Shops Vikas Bazar	18-20	25,000/-	250/-	75,000/-	-do-
3	Shops Sanjay Gandhi Market	6-12	50,000/-	500/-	1,00,000/-	-do-
4	Shops in Campus of Cantt General Hospital	10-12	30,000/-	300/-	1,00,000/-	-do-
5	Shops Rohta Phatak	6-10	20,000/-	200/-	40,000/-	-do-
6	Shops City Railway Station	9-10	30,000/-	300/-	60,000/-	-do-
7	Shops Delhi Road/Abu Lane	60-80	82500/-	1500/-	2,50,000/-	-do-
8	Godown Mangal Pandey Bzr	30-40	20,000/-	1500/-	50,000/-	-do-
9	Arhat Phar	16-20	30,000/-	300/-	60,000/-	-do-
10	platforms Sadar Sabji Mandi	6-10	20,000/-	200/-	40,000/-	-do-
11	Bakeries/Rooms/Stall, BI Market	6-90	30,000/-	300/-	60,000/-	-do-
12	Meat stall other area	6-30	10,000/-	100/-	50,000/-	-do-
13	Shop measuring 5' x 5'	2.5	10,000/-	100/-	20,000/-	-do-

बोर्ड नियमीकरण के लिए नियम एवं शर्तों को बनाने एवं हस्तांतरण/नियमीकरण के आवेदन के लिए समय निर्धारित करने पर भी विचार कर सकता है। बोर्ड उन अवैध अधिभोगी जिन्होने लाईसेंस शुल्क जमा नही किया है से बकाया राशि वसूलने पर भी विचार कर सकता है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

534. संकल्प

विचार कर कार्यसूची मे प्रस्तावित हस्तांतरण/नियमीकरण शुल्क को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। आगे निर्णय लिया गया कि, लाईसेंस/लीज के नियमीकरण की नियम/निर्देशों के अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव जीओसी इन सी सीसी/प्र.नि. र.स को अग्रेषित किया जाए। कार्यालय लाईसेंस/लीज के नियमीकरण के लिए 03 माह का नोटिस जारी करेगा जिसके भीतर नियमीकरण के प्रार्थना पत्र एवं अन्य कार्यवाही की जाएगी। किसी मामले मे, उपरोक्तउल्लिखित वर्ग मे कथित नोटिस अवधि मे अधिभोगी नियमीकरण के लिए आवेदन नही करता है तो उसके विरूद्ध अवैध अधिभोगी निष्कासन अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

५३५ मेरठ छावनी के भीतर अवैध मंडपों मे शादियों पर रू ५०००/- का शुल्क लगाना।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 362 दिंनाक 22.11.2016।

मेरठ छावनी के भीतर बने अवैध मंडपों मे होने वाली शादियों पर रू 5000/— का शुल्क लगाने पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि संदर्भित छा0बो0स0 के अनुपालन मे, कार्यालय ने सभी शादी हॉल/मंडपों को प्रत्येक शादी समारोह के लिए रू 5000/– प्रति समारोह की दर से जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए थे परन्तु मैरिज हॉल/बैंकट के मालिक बोर्ड द्वारा लगाए गए शुल्क को जमा करने के लिए तैयार नही है। उन्होने यह भी कहा कि बोर्ड को ऐसा कोई शुल्क लगाने का अधिकार नही है। कार्यालय ने बैंकट/मैरिज होम मालिकों को जवाब दिया कि कथित शुल्क को लगाने का अधिकार मेरठ छावनी परिषद को है एवं यह छावनी अधिनियम, 2006 की प्रावधानों के अंतर्गत है।

शादी समारोह के बाद, मैरिज होम/बैंकट के मालिक अपना कूडा सडक किनारे/सरकारी भूमि पर फेंक देते है जो छावनी परिषद द्वारा उठाया जाता है। बोर्ड ने कथित कूडा/अपशिष्ट उठाने के लिए 4/5 सफाई कर्मचारी एवं मशीनें छावनी परिषद द्वारा लगाई जाती है। बोर्ड रोजाना उनके वेतन एवं मशीन शुल्क पर लगभग 5000/– से 6000/– खर्च करता है जो छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 67(जी) के अंतर्गत मैरिज/बैंकट से वसूले जाने चाहिए।

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 67(जी) के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य शुल्क जैसा कि बोर्ड चाहे नियमित कर सकता है विशेषतः कहा गया है कि इस धारा की कंडिका (जी) के अंतर्गत किसी विशेष सेवा को उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया शुल्क बोर्ड द्वारा उस सेवा पर किए गए खर्च से कम नही होना चाहिए।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

535. संकल्प

बोर्ड ने नोट किया कि बैंकट हॉल नियमित रूप से शादियाँ एवं अन्य समारोह आयोजित कर रहे है एवं ऐसी अवस्थाओं से उत्पन्न होने के कारण, बोर्ड सफाई व्यवस्था बनाए रखने के हित मे सफाई सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अतः बैंकट हॉल एवं अन्य संस्थाएं/सम्पत्ति जो शादी समारोह करा रहे है उन्हे छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 67(जी) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अनुमोदित शुल्क का भुगतान करना होगा, चुंकि शुल्क बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विशेष सेवा के लिए है।

५३६. शुद्धि–पत्र

संदर्भ : छा0बो0स0 370 दिंनाक 22.11.2016।

''एमईएस कार्यालय के पीछे, बंगला संख्या 176 तक के स्थान पर फलेवर रेस्तरां तक'' को नोट एवं पढने हेतु।

536. संकल्प

नोट किया गया।

५३७. <u>मेरठ छावनी रेलवे स्टेशन के निकट छावनी निधि दुकानों के सामने।</u>

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 370 दिंनाक 22.11.2016।

श्री धनराज पुत्र श्री श्याम सुंदर, ग्राम पांचली खुर्द, मेरठ द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिंनाक 21.03.2017 पर विचार करने हेतु।

<u>कार्यालय नोट</u>

बोर्ड को सूचनीय है कि श्री धनराज ने संदर्भित प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथित नीलामी मे उनके द्वारा जमा की गई पूर्ण राशि वापस करने का अनुरोध किया है क्योकिं स्थानीय दुकानदारों की आपत्ति के कारण, विषयगत पार्किंग आज तक नही चल रही है। उन्होने यह भी कहा है कि छावनी परिषद के सदस्यों ने बोर्ड बैठक मे विषयगत पार्किंग पर आपत्ति जताई है। ऐसी स्थिति मे, वह कथित निविदा को चलाने के ईच्छुक नही है।

बोर्ड ने कथित पार्किंग स्टैण्ड बनाया था एवं उस पार्किंग स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क वसूली अधिकारों के नीलामी दिंनाक 10.08.2016 को आयोजित की गई। श्री धनराज द्वारा एक वर्ष की अवधि हेतु सर्वाधिक रू 52,000/– प्रतिवर्ष की बोली लगाई गई। निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार सर्वाधिक बोलीकर्ता ने रू 5000/– सिक्योरिटी राशि एवं रू 13,000/– प्रथम किश्त के रूप मे जमा करा दी है। सर्वाधिक बोलीकर्ता ने कथित पार्किंग स्टैण्ड का कब्जा ले लिया था।

नीलामी की नियम एवं शर्तों के अनुसार, यदि ठेकेदार निविदा को बीच मे छोडता है तो, ठेकेदार द्वारा जमा की गई पूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी एवं उसके उपर बकाया सभी राशि छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार वसूली जाएगी।

वर्तमान मे, कथित पार्किंग स्टैण्ड खाली है एवं कोई वाहन पार्क नही किया जा रहा है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

537. संकल्प

विचार कर अस्वीकार किया गया।

५३८. <u>पशुवध शुल्क मे वृद्धि</u> ।

पशुवध शुल्क मे वृद्धि पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि बोर्ड ने हण्डिया मौहल्ला मे स्थित पशुवधशाला मे होने वाले भैंस एवं बकरे के कटान के शुल्क 40 साल पहले लगाए थे। बोर्ड ने पहले ही वर्ष 2016 के दौरान कई शुल्क/प्रभार बढा दिए परन्तु अभी तक पशुवध शुल्क नही बढाया गया। मौजूदा पशुवध शुल्क निम्न हैः–

1. भैस के कटान पर – रू 25/– प्रति पशु
2. बकरे के कटान पर – रू 5/– प्रति पशु

बोर्ड ने उपरोक्त उददेश्य के लिए पशुवधशाला मे एक स्टॉकमैन एवं दो सफाई कर्मचारी नियुक्ति की है एवं पानी/बिजली सुविधा भी उपलब्ध कराई है। बोर्ड पशु कटान के लिए उपलब्ध कराई गई बिजली/पानी की सुविधा एवं कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिमाह लगभग एक लाख रूपये खर्च कर रहा है परन्तु बोर्ड पशुवध शुल्क के नाम पर केवल लगभग रू 1000/– प्रतिमाह प्राप्त कर रहा है जो राजस्व का नुकसान है। ज्यादा राजस्व के हित मे, प्रस्तावित पशुवध शुल्क निम्न हैः–

1. भैस के कटान पर – रू 500/– प्रति पशु
2. बकरे के कटान पर – रू 200/– प्रति पशु

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

538. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि पशुवध शुल्क संशोधित कर निम्नानुसार बदला जाएः–

1. भैंस का कटान – रू 100/–
2. भैंस के बछडे का कटान – रू 50/–
3. बकरे का कटान – रू 25/–

५३९. काठ के पुल से आबुलेन तक पार्किंग स्थल (बाए तरफ केवल दो पहिया वाहन के लिए)

विविध भूमि किराया रजिस्टर मे प्रविष्ठित मांग को समाप्त करने हेतु।

कार्यालय नोटः

बोर्ड को सूचनीय है कि बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 91 दिंनाक 05.11.2015 के माध्यम से विषयगत पार्किंग स्थल से पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए एक वर्ष की अवधि हेतू श्रीमती राजेश

देवी पत्नि श्री हरदन सिंह द्वारा लगाई गई सर्वाधिक बोली रू 1,81,000/– प्रतिवर्ष को अनुमोदित किया था। नीलामी की नियम एवं शर्तों के अनुसार , सर्वाधिक बोलीकर्ता ने सिक्योरिटी राशि एवं प्रथम किश्त जो कि रू 45250/– है जमा कर दी है। कार्यालय ने भूमि किराये रजिस्टर मे रू 1,81,000/– की संविदा राशि की प्रविष्टी कर दी है। फिलहाल, रू 1,35,750/– ठेकेदार पर बकाया है।

ठेकेदार ने प्रार्थना पत्र दिंनाक 15.10.2016 के माध्यम से प्रथम किश्त एवं सिक्योरिटी राशि वापस करने का अनुरोध किया था क्योकि स्थानीय दुकानदारों एवं व्यापार संघ के विरोध के कारण कथित पार्किंग नही चली एवं कोई पार्किंग शुल्क वसूल नही किया जा सका। मामला बोर्ड के समक्ष उसकी बैठक दिंनाक 22.11.2016 को रखा गया। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 365 दिंनाक 22.11.2016 के माध्यम से निर्णय लिया कि श्रीमती राजेश देवी द्वारा अपने प्रतिवेदन दिंनाक 15.10.2016 मे बताई गई स्थिति को देखते हुए, सिक्योरिटी राशि वापस कर दी जाए।

छा0बो0स के अनुपालन मे, कार्यालय ने सिक्योरिटी राशि वापस कर दी। निविदा पहले ही समाप्त की जा चुकी है परन्तु बोर्ड ने भूमि किराया रजिस्टर मे उलिलखित रू 1,35,750/– की बकाया मांग को समाप्त/हटाने का निर्देश नही दिया है। बोर्ड को भूमि किराया रजिस्टर मे उल्लिखित किसी मांग को हटाने/समाप्त करने का अधिकार है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

539. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि छावनी परिषद मेरठ द्वारा बनाए गए भूमि किराए के मांग एवं वसूली बही मे से रू 135750/–की मांग को समाप्त करने के लिए प्र.नि. र.स के म.क. के माध्यम से आवश्यक प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजा जाए।

५४०. <u>मासिक तहबाजारी शुल्क का पुर्नसंशोधन।</u>

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 495 दिंनाक 27.02.2017 एवं छा0बो0स0 संख्या 317 दिंनाक 19.09.2016।

मासिक तहबाजारी मे पुर्नसंशोधन पर विचार करने हेतु।

<u>कार्यालय नोट</u>

बोर्ड को सूचनीय है कि बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 317 दिंनाक 19.09.2016 के माध्यम से दिंनाक 01.01.2017 से सदर बाजार, आबुलेन एवं बेगमपुल पर प्रति 100 वर्ग फीट के लिए रू

150/– प्रतिदिन, लालकुर्ती एवं छावनी रेलवे स्टेशन पर प्रति 100 वर्ग फीट के लिए रू 100 प्रतिदिन एवं रजबन, तोपखाना एवं अन्य बाकि जगहों पर रू 75/– प्रतिदिन से तहबाजारी शुल्क मे संशोधन कर दिया था।

बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 368 दिंनाक 22.11.2016 के माध्यम से मेरठ छावनी की सीमाओं मे दैनिक/साप्ताहिक तहबाजारी शुल्क को 100 वर्गफीट भूमि के प्रयोग पर रू 60/– प्रतिदिन के शुल्क मे संशोधित किया था।

छा0बो0स0 संख्या 19.09.2016 के अनुपालन मे, कार्यालय ने सभी व्यापारियों को दिंनाक 01.01.2017 से बढी हुई तहबाजारी शुल्क का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया था परन्तु कोई भी व्यापारी बढी हुई तहबाजारी शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार नही हुआ। उन्होने अनुरोध किया कि दैनिक तहबाजारी शुल्क रू 60/– प्रतिदिन 100 वर्गफीट भूमि के इस्तेमाल पर एवं वार्षिक तहबाजारी शुल्क रू 150/– प्रतिदिन 100 वर्गफीट भूमि के इस्तेमाल पर है।

तहबाजारी के पुर्नसंशोधन के सम्बन्ध मे उपाध्यक्ष एवं अन्य 04 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा दिया गया मोशन दिंनाक 18.02.2017 बोर्ड के समक्ष उसकी बैठक दिंनाक 27.02.2017 को रखा गया था। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 495 दिंनाक 27.02.2017 के माध्यम से निर्णय लिया कि मामला कार्यालय के अध्यनन के लिए विलंबित किया जाए एवं उसके पश्चात मामला बोर्ड के समक्ष कार्यालय रिपोर्ट के साथ रखा जाए।

उपरोक्त दृष्टिगत, छा0बो0स0 संख्या 368 दिंनाक 22.11.2016 के अनुसार, मेरठ छावनी की सीमा मे बोर्ड 100 वर्ग फीट भूमि के इस्तेमाल के लिए बोर्ड रू 1800/– प्रतिमाह मे संशोधित करे।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

540. संकल्प

विचार एवं विस्तृत चर्चा के पश्चात, निर्णय लिया गया कि मासिक तहबाजारी को संशोधित कर रू 1200/– प्रति 100 वर्गफीट एवं रू 12/– प्रति वर्गफीट की दर से लगाई जाए।

५४१. <u>निर्णय</u>

अपीलीय अधिकारी जो प्र0नि0 र0स0 म0क0, लखनऊ है के द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 340 के अंतर्गत अपीलों मे दिए आदेशों पर विचार करने हेतू।

बोर्ड अपीलीय अधिकारी जो प्र0नि0 र0स0 म0क0, लखनऊ है के द्वारा पारित आदेशों जिसमे उन्होने निम्नलिखित अपीलों को समाप्त/खारिज किया है को नोट करे। प्रत्येक मामले का विवेचन निम्न हैः–

Sl.	Appeal No.	Name of Appellants and	Date of Order	Notice No. and date

No.		Property Nos.		
1	34/2016	SmtKalpanaYadav w/o ShRajender Kumar	17.02.2017	No. Misc/900/E7A dated 03.06.2010
2	14/2016	ShMool Chand s/o ShNathu Singh	21.02.2017	No. Misc/729/E7A dated 29.04.2010
3	11/2016	ShSurender Kumar s/o ShPhool Chand	21.02.2017	No. Misc/817/E7A dated 13.05.2010
4	18/2017	ShVikasSodai s/o ShPhool Singh, SmtRameshwari Devi w/o Shri Phool Singh	28.02.2017	No. 836/479/E7A dated 30.03.2012
5	18/2016	Sh Dinesh Kumar Goel s/o Sh S.P. Goel	03.02.2017	No. Misc/1053/E7A dated 06.07.2010
6	38/2016	ShVinod Kumar s/o Sh M.R. Suchdev	08.02.2017	No. Misc/1179/E7A dated 27.07.2010
7	20/2016	Sh Guru CharanArora s/o Sh Ram Dass	22.02.2017	No. Misc/1054/E7A dated 06.07.2010
8	40/2016	Sh Anil Kumar s/o ShRaghunath	23.02.2017	No. Misc/1181/E7A dated 27.07.2010
9	74/2016	ShPramod s/o Sh Jai Bhagwan	23.02.2017	No. Misc/1917/E7A dated 15.11.2010
10	76/2016	ShPrem Chand Jain s/o ShVimal Pd. Jain	27.02.2017	No. Misc/1915/E7A dated 15.11.2010
11	92/2016	Sh Saran Dass s/o ShChiranjiLal&Ors.	07.03.2017	No. Misc/1358/E7A dated 31.10.2007
12	75/2016	Sh Deepak Bindal s/o ShRajender Pd. Bindal	28.02.2017	No. Misc/2014/E7A dated 29.11.2010
13	44/2016	ShSudhirYadav s/o ShSudama Prasad	28.02.2017	No. Misc/1467/E7A dated 06.09.2010
14	46/2016	ShSohanLal s/o ShBhonduLal	15.03.2017	No. Misc/1298/E7A dated 17.08.2010
15	43/2016	Sh Manish s/o Sh M.K. Sharma	04.03.2017	No. Misc/1224/E7A dated 05.08.2010
16	12/2016	Sh Sandeep s/o Sh Shankar	15.03.2017	No. Misc/816/E7A dated 13.05.2010
17	19/2016	S/ShVipul Jain s/o Sh Suresh Chand Jain, Manoj Jain s/o	17.03.2017	No. Misc/1018/E7A dated 24.06.2010

		Sh Suresh Chand Jain		
18	65/2016	Sh Ram Kumar s/o ShGaneshi Ram	16.03.2017	No. Misc/2019/E7A dated 29.11.2010
19	45/2016	Sh Kamal Rathore s/o Late JiaLal	08.03.2017	No. Misc/1469/E7A dated 06.09.2010
20	71/2016	ShBirbalSonkar s/o ShChanga Ram	09.03.2017	No. Misc/2018/E7A dated 29.11.2010
21	66/2016	ShHaseen Ahmed s/o Mohd Ibrahim	09.03.2017	No. Misc/1001/E7A dated 23.02.2005
22	03/2017	Sh Vishal Jain s/o Sh Suresh Chand Jain	30.03.2017	No. Misc/2732/E7A dated 03.05.2011
23	41/2016	Sh Sanjay Jain s/o Sh SP Jain	09.03.2017	No. Misc/1184/E7A dated 27.07.2010
24	68/2016	Sh Noor Mohd s/o NiazMohd	09.03.2017	No. Misc/711/E7A dated 07.10.2005
25	37/2016	Sh Vijay Kumar s/o KishanLal, SmtDeepa Mittal w/o Vijay Kumar	17.04.2017	No. Misc/1180/E7A dated 27.07.2010
26	60/2016	Sh Sandeep s/o Late ShNandLal	02.05.2017	No. Misc/1760/E7A dated 18.10.2010
27	02/2017	Sh Sunder Lal s/o ShDurga Prasad	02.05.2017	No. Misc/2892/E7A dated 30.05.2011

बोर्ड को सूचनीय है कि क्रम संख्या 26 पर श्री संदीप पुत्र स्व0 श्री नन्द लाल ने एक याचिका संख्या 22774 सन् 2017 संदीप बनाम छावनी परिषद् मेरठ व दो अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित की। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 23.05.217 के द्वारा आदेशित किया कि अगली तिथि तक प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.10.2010 एवं 18.10.2010 को स्थगित कर दिया।

उपरोक्त अपीलें सक्षम प्राधिकारी निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान लखनऊ द्वारा निरस्त कर दी गई है। क्रम संख्या 26 को छोड़कर सभी में आवश्यक नोटिस अन्तर्गत धारा 320 छावनी अधिनियम 2006 अनाधिकृत निर्माण 7 दिनों के भीतर हटाने/ध्वस्तिकरण हेतु जारी किये जाये।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

541. संकल्प

नोट किया गया। विचार कर निर्णय लिया गया कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित क्रम संख्या 1, 15, 19 एवं 27 को छोडकर सभी मामलों मे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 07 दिनों का समय देते हुए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किये जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने पर, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण का हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५४२. <u>निर्णय</u>

अपीलीय अधिकारी जो जी0ओ0सी0–इन–सी0 लखनऊ द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 340 के अंतर्गत अपीलों मे दिए आदेशों पर विचार करने हेतू।

बोर्ड अपीलीय अधिकारी जो जी0ओ0सी0–इन–सी0 लखनऊ के द्वारा पारित आदेशों जिसमे उन्होने निम्नलिखित अपीलों को समाप्त/खारिज किया है को नोट करे। प्रत्येक मामले का विवेचन निम्न हैः–

Sl. No.	Appeal No.	Name of Appellants and Property Nos.	Date of Order	Notice No. and date
1	08 & 09/2013	ShVikramJeetShastri s/o Sh Tara Chand Shastri	27.03.2017	No. MCB/ENGG/BLDG/93/222/3512 dated 23.05.2013
2	10/2013	ShVikramJeetShastri s/o Sh Tara Chand Shastri	27.03.2017	No. MCB/ENGG/BLDG/93/222/3294 dated 15.04.2013

उपरोक्त अपीलें सक्षम प्राधिकारी जी0ओ0सी0–इन–सी0 लखनऊ द्वारा निरस्त कर दी गई है। और आदेशित किया गया है कि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बोर्ड को यह भी सूचनीय है कि अपीलार्थी ने याचिका संख्या 16602 सन् 2017 व संख्या 17557 सन् 2017 विक्रमजीत शास्त्री बनाम् छावनी परिषद् मेरठ व अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित की है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.04.2017 द्वारा आदेशित किया कि मामला दिनांक 22.05.2017 को सुनवाई हेतु लगाया जाये एवं अगली सुनवाई की तिथि तक आदेश दिनांक 15.04.2013(नोटिस अन्तर्गत धारा 248) जो सी0ई0ओ0 मेरठ द्वारा पास किया गया स्थगित रहेगा।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

542. संकल्प

नोट किया गया।

५४३. <u>निर्णय</u>

अपीलीय अधिकारी जो प्र0नि0 र0स0 म0क0, लखनऊ है के द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 340 के अंतर्गत अपीलों मे दिए आदेशों पर विचार करने हेतू।

बोर्ड अपीलीय अधिकारी जो प्र0नि0 र0स0 म0क0, लखनऊ है के द्वारा पारित आदेशों जिसमे उन्होने निम्नलिखित अपीलों को समाप्त/खारिज किया है को नोट करे। प्रत्येक मामले का विवेचन निम्न हैः–

Sl. No.	Appeal No.	Name of Appellants and Property Nos.	Date of Order	Notice No. and date
1	72/2016	ShMukesh Jain s/o Late Pawan Kumar Jain	17.03.2017	No. Misc/2089/A7A dated 21.12.2010
2	62/2016	ShSatish Chand s/o Late Brij Mohan Lal	08.03.2017	No. Misc/1761/E7A dated 18.10.2010

उपरोक्त अपीलें सक्षम प्र0नि0 र0स0 म0क0, लखनऊ द्वारा स्वीकार कर ली गई है

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

543. संकल्प

नोट किया गया। निर्णय लिया गया कि कार्यालय द्वारा कानूनी सलाह ली जाए एवं उसके पश्चात यदि कानूनी राय के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश को चुनौती देना हो तो माननीय न्यायालय मे याचिका दायर की जाए।

५४४. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री रणबीर सिंह पार्ट ऑफ बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 08.03.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Room measuring 11'-10"x7'-6" has been constructed uptoroof LVL in part of B.No. 213, West End Road, Meerut Cantt.
2. Room measuring 11'-10" x 7"-6" has been constructed toward North upto roof LVL.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 08.03.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री रणबीर सिंह द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 342 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/213/881 दिनांक 23.03.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/213/882 दिनांक 23.03.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 13.04.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

544. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

.५४५. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार पार्ट ऑफ बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 28.01.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Passage measuring 3'-10"x11'-6" has been constructed with red stone in part of B. No. 213, West End Road, toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 28.01.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री नरेश कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 342 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/213/879 दिनांक 23.03.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/213/880 दिनांक 23.03.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 06.04.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

545. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५४६. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार पार्ट ऑफ बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 08.03.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Bath Room measuring 3'-0"x7'-10" has been constructed in part of B.No. 213, West End Road, Meerut Cantt toward East.
2. WC measuring 3'-0" x 3"-2" has been constructed toward North East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 08.03.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री नरेश कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 342 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/213/871 दिनांक 23.03.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/213/872 दिनांक 23.03.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 06.04.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

546. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे,

छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५४७. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

डॉ राजीव भाटिया पुत्र स्व0 श्री के.एल. भाटिया बंगला संख्या 224, एम.एच. रोड़, रेस रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 10.01.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 224, एम.एच. रोड़, रेस रोड़, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Wall measuring 96'-0"x0'-9" has been constructed in Boundary Wall B.No. 224, M.H. Road, Race cose Road, Meerut Cantt toward West.
2. Wall measuring 24'-0"x0'-9" has been constructed toward South.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 10.01.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 224, एम.एच. रोड़, रेस रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण डॉ राजीव भाटिया पुत्र स्व0 श्री के.एल. भाटिया द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 367 है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/224/834 दिनांक 25.03.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/224/835 दिनांक 25.03.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 30.03.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

547. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस

प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५४८. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री तरून सिंघल पुत्र श्री विद्याभूषण पार्ट ऑफ बंगला संख्या 98डी, बैंक स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 19.01.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 98डी, बैंक स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Hall measuring 49'-6"x28'-0" + 22'-9"x7'-8" has beenconstructed with 13th Nos. RCC Column in part of B. No. 98D, Bank Street Meerut Cantt toward East.
2. 4'-0" Wide projection toward North and East.
3. 4'-0" Wide stair case toward East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 19.01.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 98डी, बैंक स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री तरून सिंघल पुत्र श्री विद्याभूषण द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 268 है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/98डी/xxx दिनांक 25.03.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/98डी/xxx दिनांक 25.03.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 30.03.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

548. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५४९. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री तरून सिंघल पुत्र श्री विद्याभूषण पार्ट ऑफ बंगला संख्या 98डी, बैंक स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 19.02.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 98डी, बैंक स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>प्रथम तल :–</u>

1. Hall measuring 49'-6"x28'-0" + 22'-9"x7'-8" has beenconstructed with 13th Nos. RCC Column in part of B. No. 98D, Bank Street Meerut Cantt toward East.
2. 4'-0" Wide stair case toward North and East.
3. 4'-0" Wide stair case toward East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 19.02.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 98डी, बैंक स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री तरून सिंघल पुत्र श्री विद्याभूषण द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 268 है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/98डी/837 दिनांक 25.03.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/98डी/838 दिनांक 25.03.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 30.03.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

549. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५०. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री ललित खन्ना पुत्र स्व0 श्री के0 सी0 खन्ना बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 16.10.2016 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Wall measuring 7'-10"x0'-9" has been constructed @ roof height in part of Bungalow No. 119, Kariyappa Street, Meerut Cantt toward south.
2. Wall measuring 7'-10"x0'-9" has been constructed toward East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 16.10.2016 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री ललित खन्ना पुत्र स्व० के०सी० खन्ना द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 261 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/771 दिनांक 25.03.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/772 दिनांक 25.03.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 30.03.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

550. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५१. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री ललित खन्ना पुत्र स्व0 श्री के0 सी0 खन्ना बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 25.10.2016 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Room measuring 15'-9"x10'-9" has been constructed in part of Bungalow No. 119, Kariyappa Street, Meerut Cantt toward North.
2. Room measuring 15'-9"x15'-8" has been constructed toward South.
3. Toilet measuring 11'-3"x7'-10" has been constructed toward South.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 25.10.2016 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री ललित खन्ना पुत्र स्व० के०सी० खन्ना द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 261 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/769 दिनांक 25.03.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/770 दिनांक 25.03.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 30.03.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

551. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५२. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्रीमति ज्ञानवती पत्नी श्री विरेन्द्र कश्यप पार्ट ऑफ बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 18.01.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड, मेरठ कैन्ट में छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Room measuring 11'-9"x11'-6" has been constructed with red stone in part of Bungalow No. 213, West End Road, Meerut Cantt toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 18.01.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 213, वेस्ट एण्ड रोड, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्रीमति ज्ञानवती पत्नी श्री विरेन्द्र कश्यप द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 342 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/213/1065 दिनांक 01.04.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/213/1066 दिनांक 01.04.2017 के

माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 06.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

552. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५३. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्रीमति कुलभूषण अग्रवाल पुत्र श्री स्व0 श्री राम स्वरूप अग्रवाल पार्ट ऑफ बंगला संख्या 68, अलीमपुरा, सदर मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 02.03.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 68, अलीमपुरा, सदर मेरठ मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. 2 Nos. Toilet measuring (6′-0″x4′-6″))6′-0″x9′-0″) has beenconstructed HT UP to 6′-0″ in part of Bungalow No. 68 AlimpuraSadar Bazar Meerut Cantt toward West.
2. Lobby measuring 14′-7″x21′-3″ and HT UP to 6′-0″ has been constructed toward South.
3. Kitchen measuring 8′-0″x11′-3″ and HT UP to 6′-0″ has been constructed toward East.
4. Puja measuring 8′-0″x5′-8″ and HT UP to 6′-0″ has been constructed toward East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 02.03.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 68, अलीमपुरा, सदर मेरठ मे कथित नया अवैध निर्माण श्री कुलभूषण अग्रवाल पुत्र स्व0 राम स्वरूप अग्रवाल द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र

के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 250 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/68/1067 दिनांक 01.04.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/68/1068 दिनांक 01.04.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 09.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

553. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५४. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री राहुल पुत्र स्व0 श्री दानिश बंगला संख्या 98 डी, रूडकी रोड, सदर मेरठ कैन्ट के भाग मे किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 08.03.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 98 डी, रूडकी रोड, सदर मेरठ कैन्ट के भाग मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Room measuring 10'-9"x 8'-7"has beenconstructed in part of Bungalow No. 98DRoorkee Road Meerut Cantt toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 08.03.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 98 डी, रूडकी रोड, सदर मेरठ कैन्ट के भाग मे कथित नया अवैध निर्माण श्री राहुल पुत्र स्व0 श्री दानिश द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 268 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/98डी/1069 दिनांक 01.04.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/98डी/1070 दिनांक 01.04.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 06.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

554. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५५. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री सतेन्द्र नाथ जैन पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ बंगला संख्या 5, आर.ए लाईन, मेरठ छावनी किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 21.03.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 5, आर.ए लाईन मेरठ छावनी के भाग मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Boundary Wall measuring 40'-6" x 9" has beenconstructed in part of Bungalow No. 5, R.A. Line Meerut Cantt toward West.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 5, आर.ए लाईन मेरठ छावनी के भाग म कथित नया अवैध निर्माण श्री सतेन्द्र नाथ जैन पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 99 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/5/1071 दिनांक 01.04.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/5/1072 दिनांक 01.04.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 08.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

555. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५६. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री राम चंदर पुत्र स्व0 श्री मुंशीराम बंगला संख्या 161, बीसी बाजार के निकट, मेरठ छावनी के भाग मे किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 24.03.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 161, बीसी बाजार के निकट, मेरठ छावनी के भाग मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Kitchen measuring 6'-0" x 3'-10" has beenconstructed in part of Bungalow No. 161 B.C. Bazar Meerut Cantt toward South.
2. Toilet measuring 5'-6" x 3'-0" has been constructed toward South.
3. Verandah measuring 12'-0" x 5'-3" has been constructed toward North.
4. 1'-6" wide projection toward East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 161, बीसी बाजार के निकट, मेरठ छावनी के भाग मे कथित नया अवैध निर्माण श्री राम चंदर पुत्र स्व0 श्री मुंशीराम द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 153 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/161/1073 दिनांक 03.04.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/161/1074 दिनांक 03.04.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 06.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

556. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५७. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री जितेन्द्र नाथ पुत्र श्री त्रिलोक नाथ द्वारा बंगला संख्या 5, आर0ए0 लाईन, मेरठ छावनी के भाग मे किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 28.03.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 5, आर0ए0 लाईन, मेरठ छावनी के भाग मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Shed measuring 43'-6" x 11'-0" has beenconstructed in part of Bungalow No. 5, R.A. Line Meerut Cantt toward South.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 5, आर0ए0 लाईन, मेरठ छावनी के भाग मे कथित नया अवैध निर्माण श्री जितेन्द्र नाथ पुत्र श्री त्रिलोक नाथ द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 99 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/5/1075 दिनांक 03.04.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/5/1076 दिनांक 03.04.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 08.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

557. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५५८. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री दुष्यंत त्यागी पुत्र श्री सुरेन्द्र त्यागी द्वारा बंगला संख्या 8, आर0ए0 लाईन, मेरठ छावनी मे किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 24.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा बंगला संख्या 8, आर0ए0 लाईन, मेरठ छावनी मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Shed measuring 56'-9" x 8'-7" has beenconstructed in part of Bungalow No. 8, R.A. Bazar Meerut Cantt toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 24.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 8, आर0ए0 लाईन, मेरठ छावनी मे कथित नया अवैध निर्माण श्री दुष्यंत त्यागी पुत्र श्री सुरेन्द्र त्यागी द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 413 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/8/भाग/1077 दिनांक 29.04.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/8/1078 दिनांक 29.04.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 11.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

558. संकल्प

पुर्न सत्यापन एवं जांच के लिए स्थिगित किया गया।

५५३. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्रीमति कुलभूषण अग्रवाल पुत्र श्री स्व0 श्री राम स्वरूप अग्रवाल पार्ट ऑफ बंगला संख्या 68, अलीमपुरा, सदर मेरठ कैन्ट द्वारा किए गय नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 05.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 68, अलीमपुरा, सदर मेरठ मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Room measuring 12'-3" x 14'-0" has been constructed in part of Bungalow No. 68 AlimpuraSadar Bazar Meerut Cantt toward North.
2. Room measuring 11'-0" x 14'-0" has been constructed toward North.
3. 2 Nos Toilet measuring (6'-0" x 4'-6") & (6'-0" x 6'-0" x 9'-0") has been constructed toward West.
4. Store measuring 6'-2" x 7'-0" has been constructed toward West.
5. Lobby measuring 6'-2" x 7'-0" has been constructed toward South.
6. Kitchen measuring 8'-0" x 11'-3" has been constructed toward East.
7. 3'-6" wide staircase toward North.
8. Puja measuring 8'-0" x 5'-8" has been constructed toward East.
9. Porch 29'-6" x 8'-0" has been constructed toward North.
10. 5'-0" wide gallery toward East.
11. 3'-0" wide projection toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 05.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 68, अलीमपुरा, सदर मेरठ मे कथित नया अवैध निर्माण श्री कुलभूषण अग्रवाल पुत्र स्व0 राम स्वरूप अग्रवाल द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 250 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/68/1166 दिनांक 18.04.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/68/1167 दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 12.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

559. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५६०. बंगला संख्या २१६ (भाग) (दर्शन अकादमी) के सम्बन्ध मे एआरवी की पुर्ननिर्धारण।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 427 दिंनाक 18.03.2013।

बोर्ड को सूचनीय है कि एडीजे, कोर्ट संख्या 10, मेरठ ने 2002–05 की अवधि के सम्पत्ति संख्या 216 भाग बंगला के कर निर्धारण को आदेश दिंनाक 29.10.2011 के माध्यम से कर अपील संख्या 3/2004 एवं 4/2004 कृपाल सुहानी सत्संग समिति बनाम छावनी परिषद मेरठ की अनुमति करते हुए कर निर्धारण को वापस भेज दिया है। उपरोक्त आदेश पर बोर्ड द्वारा पूर्व मे उसकी बैठक दिंनाक 18.03.2013 मे विचार किया गया था एवं बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 427 दिंनाक 18.03.2013 के माध्यम से आपत्तिकर्ता को अपनी आपत्ति के सहयोग मे साक्ष्य/दस्तावेज प्रेषित करने एवं मामले पर अगली बैठक मे विचार करने का निर्णय लिया।

इस उददेश्य के लिए स्कूल पर उनकी आपत्ति के सहयोग के लिए साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पत्र दिंनाक 04.07.2016 एवं अगला पत्र दिंनाक 13.10.2016 स्कूल को भेजा गया। स्कूल प्राधिकारियों ने इस सम्बन्ध मे पत्र दिंनाक 29.10.2016 दायर किया।

बोर्ड को यह भी सूचनीय है कि स्कूल प्राधिकारियों ने पत्र दिंनाक 29.10.2016 के माध्यम से स्कूल सम्पत्ति को छावनी अधिनियम 1924 की धारा 99(2)(बी) एवं छावनी अधिनियम 2006 की धारा 111(2) के अंतर्गत कर के भुगतान से मुक्त माना है। हालाकि, स्कूल को छात्रों से प्राप्त शुल्क/अध्यापन शुल्क/दाखिला शुल्क आदि से आय हो रही है। अतः, छावनी अधिनियम 1924 की धारा 99(2)(बी) एवं छावनी अधिनियम 2006 की धारा 111(2) स्कूल भवन पर लागू नही हो सकती है।

मामला बोर्ड के समक्ष बोर्ड द्वारा पारित आदेश के आलोक मे स्कूल प्राधिकारियों के पत्र , कर की आवश्यकता एवं स्कूल के एआरवी पर विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

560. संकल्प

निर्णय लिया गया कि मु.अ.अ. द्वारा कानूनी सलाह ली जाए एवं उसके पश्चात मामला बोर्ड के समक्ष पुनः रखा जाए।

५६१. रेलवे चौराहे रामताल वाटिका, मेरठ छावनी से नाले की पुलिया तक की रेस रोड को सी वर्ग भूमि से ए–१ रक्षा भूमि मे बदलना

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 342 दिनाक 19.09.2017।

मेरठ छावनी मे आबु नाला पुलिया (सर्वत्र चौक) से रेलवे चौक (रामताल वाटिका) तक रेस रोड को बदलने के मामले पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि स्टेशन मुख्यालय, पश्चिम यूपी सब एरिया ने पत्र दिंनाक 13.06. 2015 एवं 26.11.2015 के माध्यम से खसरा संख्या 460(भाग) की आबुनाला पुलिया (सर्वत्र चौक) से रेलवे चौक (रामताल वाटिका) 30600 वर्ग मी/7.5614 एकड भूमि को सी वर्ग भूमि को ए–1 रक्षा भूमि मे बदलने एवं खसरा संख्या 459 मे मिलाने जो वर्तमान मे एमईएस रोड पर मेरठ छावनी की ए–1 रक्षा भूमि पर है की संस्तुति भेजी थी। बोर्ड ने संदर्भित छा0बो0स0 के माध्यम से निर्णय लिया कि भारत सरकार को जीओसी इन सी/प्र.नि.र.स. मध्य कमान के माध्यम से स्वीकृती प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रस्ताव अग्रेषित किया जाता है। प्रधान निदेशक रक्षा सम्पदा ने पत्र संख्या 57165/एलसी–2 दिंनाक 06.03.2017 के माध्यम से परिवर्तन के लिए अनापत्ति मांगी है।

बोर्ड को रेस रोड के परिवर्तन के सम्बन्ध मे अनापत्ति देने या टिप्पणी हेतु निर्णय लेना है

अतः मामला बोर्ड के समक्ष मामला उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

561. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि यथा स्थिति बनाई रखी जाए। प्रस्ताव को समाप्त किया गया।

५६२. छावनी क्षेत्र मे श्रीमती सरोजनी अग्रवाल, एम.एल.सी कराए जाने वाले इण्टरलॉकिंग कार्य की अनापत्ति।

संदर्भ : पत्र संख्या 90/ग्रा0अ0वि0/पी0ए0सी0/2016 एवं17 दिंनाक 20.03.2017।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रक सेवा विभाग, खण्ड – मेरठ द्वारा भेजा गया संदर्भित पत्र जिसमे कहा गया है कि श्रीमती सरोजनी अग्रवाल (एमएलसी) ने तोपखाना, आर0ए बाजार मेरठ छावनी मे इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का प्रस्ताव दिया है एवं उसे कराने के लिए अनापत्ति हेतु अनुरोध किया है पर विचार करने हेतू।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रक सेवा विभाग, खण्ड – मेरठ द्वारा भेजा गया संदर्भित पत्र अनुसंलग्नकों सहित पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड को सूचनीय है कि विषयगत कार्य स्थान पर बिना अनापत्ति प्राप्त किए शुरू करा दिया गया था जिसे रूकवा दिया गया। कार्य कई बार शुरू किया गया। जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को इस कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि यदि छावनी क्षेत्र मे एमएलए/एमपी निधि के कोई कार्य छावनी परिषद से बिना अनापत्ति प्राप्त किये कराया जाता है तो वह छावनी अधिनियम का उलंघन है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

562. संकल्प

विचार कर अनुमोदित किया गया। आवश्यक अनापत्ति जारी की जाए। मु.अ.अ. बोर्ड की अनापत्ति को सम्बन्धित प्राधिकारी से सम्पंर्क करने के लिए अधिकृत है।

५६३. कार्यालय अधीक्षक एवं लेखाकार के पद पर पदोन्नती।

छावनी परिषद, मेरठ मे कार्यालय अधीक्षक एवं लेखाकार के पदों पर पदोन्नती पर विचार करने हेतू।

बोर्ड को सूचनीय है कि कार्यालय अधीक्षक का पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहा है एवं वह पर्यवेक्षक स्टाफ जैसे राजस्व अधीक्षक, कर अधीक्षक एवं लेखाकार के संवर्ग से भरा जाना है।

उसी प्रकार से, लेखाकार का पद दिंनाक 01.04.2017 से खाली चल रहा है एवं लेखाकार के पद पर पदोन्नती सलेक्शन श्रेणी लिपिकों के फीडर संवर्ग से किया जाना है।

बोर्ड ने पूर्व मे राजस्व अधीक्षक एवं कर अधीक्षक के पदों पर अस्थायी पदोन्नती की थी, अतः उपरोक्त खाली पदों को भी सक्षम स्टाफ मे से भरे जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

बोर्ड को यह भी सूचनीय है कि आवेदकों की योग्यता पर विचार करने हेतु बोर्ड मे स्टाफ की एसीआर लिखने की व्यवस्था नही है। अतः, वरिष्ठता सूची मे से आवेदकों की सक्षमता एवं दक्षता/योग्यता को जानने के लिए मु.अ.अ, मनोनीत सदस्य एवं निर्वाचित सदस्य वाली एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

सम्बन्धित पत्रावली वरिष्ठता सूची सहित पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

563. संकल्प

स्थिगित किया गया। मामला बोर्ड के समक्ष वरिष्ठता सूची एवं विस्तृत कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अगली बोर्ड बैठक मे रखा जाए।

५६४. छावनी निधि सडको पुर्नसघन आवरण : मेरठ छावनी।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 246 दिंनाक 09.06.2014।

08 सडकों के पुर्नसघन आवरण हेतु निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान के पत्र संख्या 43376/मेरठ/(1)/2014–15/एलसी5 दिंनाक 09.03.2017 के माध्यम से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर विचार करने हेतू।

बोर्ड ने संदर्भित छा0बो0स0 के माध्यम से 08 सडकें जो बुरी हालत मे थी एवं जिनमे मरम्मत/ पुर्नसघन आवरण आवश्यक था पर विचार किया एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अग्रेषित करने का निर्णय लिया। विवेचन निम्न हैः–

S.No.	NAME OF ROAD	ESTIMATED COST
1.	Dense carpeting of Mall Road from Roorkee Road upto Police Station Lalkurti	Rs.27,18,401.17
2.	Dense carpeting of Road from Aughar Nath Mandir (Western Road upto Race Road)	Rs.18,68,102.46
3.	Dense carpeting of Main Road Lalkurti Bara Bazar	Rs.21,48,317.43
4.	Dense carpeting of Road from GPO crossing to End of Mall Road	Rs.26,79,566.87
5.	Dense carpeting of Road from Daya Nand Path Abu Lane upto Ganj Bazar	Rs.27,10,634.31
6.	Dense carpeting of Main Road Police Street Roadways upto Sadar Police Station	Rs.24,25,369.70
7.	Dense carpeting of Mall Road from Police Station Lalkurti upto CDA crossing	Rs.26,98,984.01
8.	Dense carpeting of Road from Sanjay Cold Drinks wala upto PGL Jublee Ganj	Rs.8,65,237.80
	TOTAL	Rs.1,81,14,603.75

तद्वनुसार, 08 सडकों का पुर्नसघन आवरण हेतू अनुदान मे से निधि का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृती हेतू पत्र संख्या 164/ई–5/269 दिंनाक 24.06.2014 के माध्यम से प्रस्ताव अग्रेषित किया था।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान स्वीकृती प्राप्त नही हुई। सडकें बहुत बुरी हालत मे थी एवं जिनकी मरम्मत आवश्यक थी। अतः बोर्ड ने क्रम संख्या 1, 2 एवं 7 पर उल्लिखित मुख्य सडकों की मरम्मत मार्च 2015 मे डी–2 मद्व मे से निधि की प्रयोग करके मरम्मत करा ली एवं 2015–16 मे भी निधि न आने के कारण क्रम संख्या 3, 4 एवं 6 पर उल्लिखित सडकों की मरम्मत भी मार्च 2016 मे डी–2 मद्व मे उपलब्ध निधि से करा ली गई।

बोर्ड को सूचनीय है कि क्रम संख्या 5 एवं 8 की हालत और खराब हो गई एवं मरम्मत की लागत भी वर्ष 2014 से 2017 तक आंकलित लागत से संशोधन होने कारण बढ गई। एमईएसएसएसआर 2010 के उपर एई की प्रचारित प्रतिशत मे बढोत्तरी के कारण इन दोनो सडकों की संशोधित आकंलन लागत बढकर रू 35,75,8721.11 से रू 48,35,941.33 हो गई है। जो निम्न हैः–

Sr. No.	Name of the Road	Estimated Cost as per estimate forwarded @ 5% above MES SSR 2010 (Rs.)	Estimated Cost as per estimate forwarded @ 42% above MES SSR 2010 (Rs.)

1.	Dense carpeting of Road from Daya Nand Path Abu Lane upto Ganj Bazar	27,10,634.31	36,65,810.21
2.	Dense carpeting of Road from Sanjay Cold Drinks wala upto PGL Jublee Ganj	8,65,237.80	11,70,131.12
		3575872.11	**4835941.33**

उपरोक्त 02 सडकों की मरम्मत के लिए आवश्यक संशोधित आंकलित रू 48,35,941.33 घटाने के पश्चात, बोर्ड के पास पत्र दिंनाक 09.03.2017 के माध्यम से डी– मद्व के अंतर्गत सडकों के पुर्नसघन आवरण के लिए दिया गया अनुदान कुल रू 13278662.42 रह जाएगा (रू 1,81,14,603.75 – रू 48,35,941.33)। चुंकि टेबल 1 मे क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 6 एवं 7 पर उल्लिखित सडकों (बोर्ड के वास्तविक प्रस्ताव मे शामिल) जो वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 जिनकी पहले ही मरम्मत की जा चुकी है, बोर्ड उनके स्थान पर निम्नलिखित सडकों के पुर्नसघन आवरण पर विचार कर सकता है जो फिलहाल खराब स्थिति मे है एवं पुर्नसघन आवरण की आवश्यकता हैः–

Table No. 3

Sr. No.	Name of the Road	Estimated Cost
1.	Re-dense carpeting of Income Tax Office road through Dense carpeting from CAB crossing to Delhi Road	3407976.71
2.	Re-dense carpeting of road from Yogendra Haat to PP Conference	2804031.87
3.	Re-dense carpeting of road from Kath Ka Pul to Begum Pul	1901539.25
4.	Re-dense carpeting of road from Yogendra Haat to Kath Ka Pul	2471053.64
5.	Re-dense carpeting of road from B. No. 116 to Abu Nala Culvert near Yogendra Haat	2260386.16
6.	Re-dense carpeting of road from Shop of Mr. Talk to Yogendra Haat	1371044.46
		14216032.09

बोर्ड बाकि बची रू 1,32,78,662.42/– की राशि को उपरोक्त टेबल संख्या 3 मे उल्लिखत 06 सडकों के पुर्नसघन आवरण कराने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृती/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात विचार कर सकता है। बचा हुआ खर्च रू 9,37,369.67/– वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017–18) मे डी–2 मद्व मे लेकर खर्च कर सकता है। कार्यालय ने उपरोक्त के आंकलन के एमईएस द्वारा पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव भेज चुका है एवं सडकों के नामों को बदलने के लिए जीओसी इन सी को प्रस्ताव भेजा जाएगा यदि बोर्ड उपरोक्त को अनुमोदित करता है तो।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड मामले पर निर्णय ले।

564. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि डेंस कार्पेटिंग के लिए प्राप्त विशेष अनुदान मे से रू 13278662.42/– की बची हुई राशि कार्यबिंदु की टेबल 3 मे उल्लिखित 06 सडकों की

पुर्नकार्पेटिंग करा दी जाए। कार्यबिंदु की टेबल 2 मे उल्लिखित संशोधित आंकलनों को भी अनुमोदित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017–18) मे डी–2 मद्व मे से बचे हुए रू 937369.67/– एमईएस से पुनरीक्षित आंकलनों की प्राप्ति के पश्चात खर्च किए जाए। सडकों के नाम बदलने के लिए सक्षम अधिकारी/जीओसी–इन–सी की स्वीकृति प्राप्त की जाए जिसके लिए प्र.नि. र.स. म.क के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

५६५. ज्ञान साझेदार की नियुक्ति।

नगर नियोजन, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एसटीपी के क्षेत्र मे सलाह हेतु ज्ञान साझेदार की नियुक्ति के सम्बन्ध मे महानिदेशक रक्षा सम्पदा के पत्रांक 76/67/स्मार्ट कैन्ट/डीई/2015 दिंनाक 23.03.2017 एवं निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान पत्रांक 56985/सीडीपीज/कैन्ट/3/18 दिंनाक 28.03.17 के माध्यम से दिए गए निर्देशों पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि नगर निकाय प्रशासन की तर्ज पर विकासशील छवानी क्षेत्र के लिए ज्ञान साझेदार की नियुक्ति होनी है। ज्ञान साझेदार छावनी क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं के विकास एवं सुधार हेतु आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। ज्ञान साझेदार प्रक्षिशण एवं क्षमता निर्माण के साथ साथ सलाह एवं सुझाव भी प्रदान करेंगे।

अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय केन्द्र, शहरी एवं पर्यावरण अध्यनन, लखनऊ (आरसीयूईएस) से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की संस्थान होने ने नाते जो उत्तर प्रदेश राज्य सहित अन्य प्रदेशों मे शहरी प्रबंधन के क्षेत्र मे मुख्य सेवाएं प्रदान कर रहा है से सम्पंर्क किया गया। अतिरिक्त निदेशक श्री ए0के गुप्ता, (आर0सी0यू0एस) लखनऊ ने अपने पत्र दिंनाक यूआरएल/160–5/24/2017–18 दिंनाक 05.05.2017 के माध्यम से अपनी विशेज्ञता एवं योगदान देने के लिए सहमति जाहिर की है।

आरसीयूएस के प्राप्त पत्र बोर्ड के विचारार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

565. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि श्री ए0के0 गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र शहरी एवं पर्यावरण अध्यनन, लखनऊ, आरसीयूएस की सहमति/ईच्छा के अनुसार उन्हे कार्यसूची मे बताए गए उददेश्य/क्षेत्रों के लिए ज्ञान साझेदार के रूप मे नियुक्त कर लिया जाए। नियुक्ति का ब्यौरा मंगाया जाए एवं बोर्ड के समक्ष अगली बैठक मे रखा जाए।

५६६. बजट मद्व डी–१(ए) के अंतर्गत छावनी निधि सडकों के सघन आवरण के लिए निविदा।

मेरठ छावनी मे सडकों की मरम्मत/पुर्नसघन आवरण हेतु मै जीत कंस्ट्रक्शन द्वारा उद्वत एमईएस एसएसआर 2010 के उपर 65 प्रतिशत की दर पर विचार करने हेतू।

बोर्ड को सूचनीय है कि

1. विषयगत कार्य के लिए निविदा दस्तावेज सक्षम अधिकारी की डी–1 मद्व मे सडकों के पुर्न सघन आवरण के लिए स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात तैयार किए गए। तद्वनुसार, ऑनलाईन ई–निविदा ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई–पब्लिशिंग के साथ साथ स्थानीय/राष्ट्रीय अखबारों मे दो बोली प्रणाली के अनुसार जो कि तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के अंतर्गत आमंत्रित की गई थी। तकनीकी बोली दिंनाक 17.05.2017 को खोली गई।

2. 03 बोलीकर्ताओं ने भाग लिया एवं सभी फर्म/ठेकेदार वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाए गए। तद्वनुसार वित्तीय बोली दिंनाक 25.05.2017 को खोली गई। तीनों फर्मों द्वारा प्राप्त उद्वत दरें निम्न हैः–

S.No.	NAME OF TENDERER	RATE QUOTED ON MES SSR 2010
1.	M/s Jeet Construction	65.00% above MES SSR 2010
2.	M/s R.S. Builders	66.00% above MES SSR 2010
3.	M/s Juneja Constructions Pvt. Ltd.	66.00% above MES SSR 2010

3. मै0 जीत कन्सट्रक्शन ने एमईएस एसएसआर 2010 के ऊपर 65 प्रतिशत के न्यूनतम दरें उद्वत की है।

   सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

   बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

566. संकल्प

विचार कर मै0 जीत कन्सट्रक्शनस द्वारा उद्वत एमईएस एसएसआर के उपर 65 प्रतिशत की न्यूनतम बोली को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। कार्य आदेश जारी करने से पूर्व आवश्यक अनुबंध कर लिया जाए।

५६७. <u>माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी) को लागू करने पर प्रभाव।</u>

संदर्भ : निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान पत्रांक 33884/बी/टीए/कैन्ट/76 दिंनाक 24.01.2017 एवं 33884/बी/टीए/कैन्ट/94 दिंनाक 05.04.2017।

छावनी परिषदों मे माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी) को लागू करने के कारण होने वाले प्रभाव के सम्बन्ध मे निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान पंत्राक 33884/बी/टीए/कैन्ट/76 दिंनाक 24.01.2017 एवं 33884/बी/टीए/कैन्ट/94 दिंनाक 05.04.2017 के अंदर उल्लिखित निर्देशों को नोट करने हेतू।

कार्यालय रिपोर्ट

1. बोर्ड को सूचनीय है कि निदेशालय रक्षा सम्पदा ने संदर्भित पत्रों के माध्यम से सूचित किया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए सविंधान संशोधन संसद से पारित होने के उपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। तद्वनुसार, जीएसटी दिंनाक 01.07.2017 से लागू होना है। उसके लागू होने के पश्चात, पथकर से आय, चुंगी, वाहन प्रवेश कर, यात्री कर, जैसा भी मामला हो, वह जीएसटी मे सम्मिलित हो जाएगा।

2. निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान ने इस कारण होने वाले सम्भावित नुकसान को ध्यान मे रखते हुए बजट बनाने एवं खर्च का प्रबंधन करने के निर्देश दिए है।

   इसके अतिरिक्त, उन छावनी परिषदों जिनके इन करों के की वसूली की निविदाएं जिनकी वैघता 01 जुलाई 2017 के उपरांत भी है उन्हे आवश्यक कदम उठाने होंगे।

3. बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी परिषद मेरठ द्वारा लगाए जाने वाले निम्नलिखित 02 कर जीएसटी मे विलय होना अपेक्षित हैः–
   (क) पथ कर – रू 2.56 करोड का अपेक्षित नुकसान (01.07.17 से 31.03.2017)
   (ख) प्रदर्शन कर – रू 4.00 लाख का अपेक्षित नुकसान (– उपरोक्तानुसार –)

निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान को पत्र संख्या मिस/जी/जीएसटी/132 दिंनाक 19.04.2017 के माध्यम से कुल रू 2.60 करोड का नुकसान निकालकर सूचित किया जा चुका है।

01.07.2017 से 07.10.2017 तक की बची हुई निविदा अवधि तक छावनी परिषद को रू 2.60 करोड के नुकसान का प्रभाव पडेगा एवं उसके बाद अवधि के लिए दिंनाक 31.03.2017 तक औसत आधार पर उपरोक्तानुसार प्रस्तावित बजट आंकलन (स0) तैयार कर लिये गए है।

4. छावनी परिषद मेरठ का पथकर वसूली की निविदा वर्तमान मे चल रही है जो दिंनाक 08.10.2016 0000 बजे से 07.10.2017 तक 2400 बजे तक प्रभावी रहेगी।

5. तद्वनुसार, मामला बोर्ड के समक्ष कथित निविदाओं का दिंनाक 01.07.2017 से समाप्त करने/संस्तुति करने के लिए प्रस्तुत है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड निर्देशों को नोट करे एवं मामले पर उचित निर्णय ले।

567. संकल्प

विचार किया गया कि जैसा कि उच्च अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि दिंनाक 01.07.2017 से जीएसटी मे पथकर के शामिल होने के कारण दिंनाक 01.07.2017 (00:00 बजे) से पथकर अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। आगे, छा0बो0स0 संख्या 179 दिंनाक 27. 08.2007 के माध्यम से बोर्ड द्वारा वसूली जाने वाले वाहन प्रवेश शुल्क को दिंनाक 01.07.2017 से वसूला जाए।

५६८. वर्ष २०१७–१८ के लिए स्टेशनरी की आपूर्ति के लिए निविदा।

वर्ष 2017–18 के लिए स्टेशनरी की आपूर्ति के लिए निविदा पर विचार करने हेतू।

बोर्ड को सूचनीय है कि आनॅलाईन निविदा दैनिक हिन्दुस्तान एवं युवा रिपोर्टर मे दिंनाक 09.03.2017 को विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की गई थी।

दिंनाक 31.03.2017 को केवल एक निविदा प्राप्त हुई आईटमो के प्राप्त दरों को पिछले वर्ष मे प्राप्त दरों से तुलना की गई। औसतन 02 से 13 प्रतिशत वृद्धि होगी। क्रम संख्या 27, 55, 56, 74 एवं 84 पर उल्लिखित आईटमो के तुलनात्मक विवरण मे 42 से 131 प्रतिशत तक की बढोत्तरी हुई जो सज्ञानार्थ पटल पर प्रस्तुत है। केवल क्रम संख्या 27, 55, 56, 74 एवं 84 को छोडकर सभी आईटमों की दरें उचित है जो विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। क्रम संख्या 27, 55, 56, 74 एवं 84 के आईटमों की दरें अस्वीकार करने लायक है। ठेकेदार ने यह भी उद्वत किया है कि बिल राशि के उपर 05 प्रतिशत वैट भी अलग से लिया जाएगा। फाईल कवर एवं प्रिंटर कार्टेज पर 14 प्रतिशत वैट लिया जाएगा।

सम्बन्धित दस्तावेजों सहित तुलनात्मक विवरिण पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि मामले पर विचार कर उचित निर्णय ले।

568. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

५६९. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री मुनीर खान पार्ट ऑफ बंगला संख्या 76, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 26.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 76, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Room measuring (12'-6" x 16'-0") + (11'-9" x 9'-2") has been constructed in part of Bungalow No. 76 Mosque Boundary Raod, Meerut Cantt toward North (Shed).
2. 3'-0" wide projection toward west.
   2'-3" wide staircase toward East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 76, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री मुनीर खान द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 330 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/76/1332 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/76/1333 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 30.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

569. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७०. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री अभीनव बंसल पुत्र श्री शिव कुमार बंसल पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 26.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Tin shed measuring 53'-0" x 12'-7" has been constructed in part of Bungalow No. 119Cariyappa Street, Meerut Cantt toward West.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री अभीनव बंसल पुत्र श्री शिव कुमार बंसल द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 261 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/1330 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/1331 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

570. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत

नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७१. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री कस्तुरी लाल पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 26.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Toilet measuring 10'-6" x 6'-0" has been constructed in part of Bungalow No. 119Cariyappa Street, Meerut Cantt toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री कस्तुरी लाल द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 261 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/1300 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/1301 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

571. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७२. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री महबुब इलाही पुत्र श्री अल्ला रख्खा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 272/1, मोरगंज, भूसा मण्डी, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 26.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 272/1, मोरगंज, भूसा मण्डी, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Room measuring 12'-2" x 13'-1" has been constructed in part of Bungalow No. 272/1MorGanj, Bhoosa Mandi, Meerut Cantt toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 272/1, मोरगंज, भूसा मण्डी, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री महबुब इलाही पुत्र श्री अल्ला रख्खा द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 460 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/272/1/1302 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/272/1/1303 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 26.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

572. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७३. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्रीमति नसीम पत्नि श्री रईस पार्ट ऑफ बंगला संख्या 272, मोरगंज, भूसा मण्डी, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 26.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 272, मोरगंज, भूसा मण्डी, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>प्रथम तल :–</u>

1. Room measuring 7'-0" x 11'-4" has been constructed in part of B. No. 272MorGanj, BhoosaMandi, Meerut Cantt toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 272, मोरगंज, भूसा मण्डी, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्रीमति नसीम पत्नि श्री रईस द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 460 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/272/1304 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/272/1305 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 26.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

573. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७४. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री मौ0 नईम पुत्र श्री महबुब इलाही पार्ट ऑफ बंगला संख्या 198, अलीमपुरा, सदर, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 26.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 198, अलीमपुरा, सदर, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Room measuring 18'-0" x 14'-3" has been constructed in part of Bungalow No. 198AlimpraSadar Bazar, Meerut Cantt toward West.
2. 3'-0" wide projection toward East.
3. 3'-0" wide staircase toward East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 198, अलीमपुरा, सदर, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री मौ0 नईम पुत्र श्री महबुब इलाही द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 424 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/198/1306 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/198/1307 दिनांक 24.05.2017 के

माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

574. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७५. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्रीमति जरीना पत्नि श्री मौ0 नजीर पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 26.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Roommeasuring 7'-4" x 8'-8" has been constructed in part of Bungalow No. 119Cariyappa Street, Meerut Cantt toward North.
2. 4'-0" wide verandah toward West (Red Stone).

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 26.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 119, करियप्पा स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्रीमति जरीना पत्नि श्री मौ0 नजीर द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 261 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/1308 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/119/1309 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

575. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७६. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री भानू प्रताप सिंह बंगला संख्या 261, करन पब्लिक स्कूल, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 27.04.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा 261, करन पब्लिक स्कूल, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>प्रथम तल :–</u>

1. Hall measuring (21'-9" x 48'-3") + (24'-3" x 21'-4") has been constructed in part of Bungalow No. 261, Karan Public School, Meerut Cantt toward North.
2. 2'-0" wide projection toward East.
3. 2'-0" wide projection toward South.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 27.04.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि बंगला संख्या 261, करन पब्लिक स्कुल, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री भानू प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 306 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/261/1310 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/261/1311 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

576. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७७. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री देवेन्द्र अग्रवाल पार्ट ऑफ बंगला संख्या 73, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 08. 05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 73, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Hall measuring 23'-0" x 60'-0"has been constructed in part of Bungalow No. 73, Boundary Road, Meerut Cantt toward South.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 08.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 73, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री देवेन्द्र अग्रवाल द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 336 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/73/1312 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/73/1313 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

577. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७८. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह पार्ट ऑफ बंगला संख्या 88, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 08.05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 88, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Roof measuring 18'-5" x 11'-3"has been constructed in part of Bungalow No. 88, Hill Street, Meerut Cantt toward East.
2. 2'-0" wide Sun shed toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 08.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 88, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री चन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 298 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/88/1314 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/88/1315 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

578. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५७९. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री मौहमद नदीम पुत्र स्व0 श्री मौहमद जफर पार्ट ऑफ बंगला संख्या 77, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 09.05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 77, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Hallmeasuring $\frac{(9'\text{-}3'' + 13'\text{-}9'')}{2}$x 21'-9"has been constructed in part of Bungalow No. 77,Aftab kiKothi Boundary Road, Meerut Cantt toward East.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 09.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 77, बाडन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री मौहमद नदीम पुत्र स्व0 श्री मौहमद जफर द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 328 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/77/1316 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/77/1317 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

579. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५८०. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री जावेद उर्फ गुल्लु पुत्र श्री चाँद मियां पार्ट ऑफ बंगला संख्या 86, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 09.05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 86, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. Roommeasuring 119'-0" x 9"and 11'-0" Hthas been constructed in part of Bungalow No. 86, Hill Street near Sophia School Meerut Cantt toward North.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 09.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 86, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री जावेद पुत्र श्री चाँद मियां द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 291 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/86/1318 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/86/1319 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 30.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

580. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे,

छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५८१. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री अश्वनी कुमार मलहोत्रा पुत्र श्री चन्द्र कुमार मलहोत्रा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 86, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 09.05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 86, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Gate measuring 10'-6" wide and 2 Nos. RCC column9"x18" has been constructed and 11'-0" HT in part of Bungalow No. 86, Hill Street near Sophia School Meerut Cantt.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 09.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 86, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री अश्वनी कुमार मलहोत्रा पुत्र श्री चन्द्र कुमार मलहोत्रा द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 291 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/86/1320 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/86/1321 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 31.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त द्ष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

581. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस

प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५८२. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्रीमति शारदा देवी पत्नि स्व0 श्री प्रताप सिंह पार्ट ऑफ बंगला संख्या 70ए, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 11.05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 70ए, आउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Room measuring 12'-4" x 13'-6" has been constructed in part of Bungalow No. 70A, Boundary Road Meerut Cantt toward South.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 70ए, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्रीमति शारदा देवी पत्नि स्व0 श्री प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 298 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/70ए/1322 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/70ए/1323 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

582. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५८३. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री मुनीर खान पार्ट ऑफ बंगला संख्या 76, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 11.05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 76, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>प्रथम तल :–</u>

1. 2 Nos. room measuring (12'-0" x 16'-0") + (11'-9" x 9'-3") has been constructed in part of Bungalow No. 76 Mosque Boundary Raod, Meerut Cantt toward North (Shed).

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 76, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री अब्दुल हमीद पुत्र श्री मुनीर खान द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 330 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/76/1324 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/76/1325 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 30.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

583. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५८४. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री अमित पुत्र श्री देवेन्द्र पार्ट ऑफ बंगला संख्या 70, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 11.05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 70, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

भूमि तल :–

1. Room measuring 13'-9" x 10'-0" has been constructed in part of Bungalow No. 70, Boundary Road Meerut Cantt toward West.
2. 2'-6" wide projection toward West.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 70, बाउन्ड्री रोड़, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री अमित पुत्र श्री देवेन्द्र द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 298 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/70/1326 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/70/1327 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

584. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अवैध निर्माणकर्ता को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए कि कार्यबिंदु मे उल्लिखित अवैध निर्माण को नोटिस प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ध्वस्त करने एवं हटाने का निर्देश दिया जाए ऐसा न करने पर अवैध निर्माण को 07 दिनों के भीतर हटाने के लिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाए। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति मे, छावनी परिषद द्वारा आवश्यक पुलिस मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए एवं ध्वस्तीकरण मे होने वाला हर्जा खर्चा अवैध निर्माणकर्ता से वसूला जाए।

५८५. अवैध निर्माण : छावनी अधिनियम की धारा २४८ के अन्तर्गत नोटिस जारी करना।

श्री विजय दीवान पुत्र श्री के0सी0 दीवान पार्ट ऑफ बंगला संख्या 84/बी, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट द्वारा किए गये नये अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अभियांत्रिकी स्टाफ द्वारा दिनांक 11.05.2017 को प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।

अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पार्ट ऑफ बंगला संख्या 84/बी, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे छावनी परिषद की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण किया है जो कि निम्न है :–

<u>भूमि तल :–</u>

1. 5 Nos. RCC column measuring 12" x 18" has been constructed in part of Bungalow No. 84B, Hill Street Meerut Cantt toward West and 10'-6" height.

इस कार्यालय के तकनीकी स्टाफ ने रिपोर्ट दिनांक 11.05.2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पार्ट ऑफ बंगला संख्या 84/बी, हिल स्ट्रीट, मेरठ कैन्ट मे कथित नया अवैध निर्माण श्री विजय दीवान पुत्र श्री के0सी0 दीवान द्वारा किया गया है। निर्माण स्थान नागरिक क्षेत्र के बाहर है एवं रक्षा सम्पदा अधिकारी, मेरठ सर्किल के प्रबन्धाधीन है। भूमि खसरा संख्या 294 पार्ट है।

अवैध निर्माणकर्ता को संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/84/बी/1328 दिनांक 24.05.2017 एवं संख्या एमसीबी/बीएलडीजी/ईएनजीजी/84बी/1329 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से एक कारण बताओं नोटिस के साथ–साथ अवैध निर्माणकर्ता को निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया गया जो कि निर्माणकर्ता को 27.05.2017 को दिया गया।

अवैध निर्माणकर्ता ने सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नया निर्माण बना दिया। जीएलआर के अनुसार अवैध निर्माणकर्ता प्रश्नगत सम्पत्ति के अधिभोगी अधिकारी नही है।

उपरोक्त दृष्टिगत यह संस्तुति की जाती है कि स्वामी/अधिभोगी को छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाए कि इस नोटिस के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटा/ध्वस्त कर ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

585. संकल्प

पुर्नसत्यापन एवं जांच के लिए स्थिगित करने का निर्णय लिया गया।

५८६. श्री पीयूष गौतम, स०अभि०, छावनी परिषद मेरठ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 130 दिंनाक 01.02.2014।

श्री पीयूष गौतम, स0अभि0 के विरूद्ध एक अनुशासनात्मक जांच लगाई गई थी एवं छा0नि0से0नि 1937 के नियम 12 के अंतर्गत छा0बो0स0 संख्या 92 दिंनाक 26.11.2013 के माध्यम से आरोप पत्र दिया गया था। श्रीमती शोभा गुप्ता, निदेशक, रक्षा सम्पदा मध्य कमान लखनऊ को श्री पीयूष गौतम, स0अभि0, आरोपित कर्मचारी के विरूद्ध जांच करने के लिए छा0बो0स0 संख्या 130 दिंनाक 01.02.2014 के माध्यम से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।

जांच अधिकारी ने पत्र संख्या कम्पलेंट/सीईओ/डीईओ/एमआरटी/विज दिंनाक 17.05. 2017 के माध्यम से जांच रिपोर्ट प्रेषित की है।

रिपोर्ट सम्बन्धित दस्तावेजों सहित बोर्ड की आगे की कार्यवाही के पटल पर प्रस्तुत है।

586. संकल्प

मु.अ.अ. ने बोर्ड को अनुसानात्मक मामले की पूरी वास्तविक्ता से अवगत कराया। बोर्ड ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार किया एवं पूर्ण विचार के पश्चात जांच निष्कर्ष को स्वीकार किया जिसमें जांच अधिकारी ने पाया कि श्री पीयूष गौतम, स.अभि के विरूद्ध आरोप पूर्णतः या भाग मे सिद्ध नही होते है। तद्वनुसार, मामले मे कोई कार्यवाही किया जाना आवश्यक नही है। बोर्ड ने श्री पीयूष गौतम को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष को स्वीकार करने एवं श्री पीयूष गौतम को आरोप मुक्त करने के निर्णय को मु.अ.अ. सम्बन्धित कर्मचारी से सम्पर्क करने के लिए अधिकृत है।

श्री विपिन सोढी निर्णय से अलग थे। यद्वपि, उन्हाने लिखित मे कोई असहमति नही दी।

५८७. पथकर निविदा की सिक्योरिटी राशि को वापस करना।

श्री कृष्णपाल सिंह, प्रबंधन साझेदार मै0 गौरव ट्रेडर्स, बी–84, यूरोपियन एस्टेट, कंकर खेडा बाईपास, मेरठ छावनी द्वारा वर्ष 2008.–09 के दौरान पथकर निविदा के लिए उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि के सम्बन्ध मे श्री आशीष मित्तल, एडवोकेट द्वारा प्रेषित नोटिस दिंनाक 04.03.2017 पर विचार करने हेतु।

कार्यालय नोट

बोर्ड को सूचनीय है कि राजस्व अनुभाग की रिपोर्ट के अनुसार, श्री आशिष मित्तल, एडवोकेट ने श्री कृष्णपाल सिंह के द्वारा कानूनी नोटिस दिंनाक 04.03.2017 के माध्यम से छावनी परिषद को मु.अ.अ के द्वारा एवं भारत संघ का सचिव रक्षा मंत्रालय एवं अन्य के द्वारा ब्याज सहित अपनी सिक्योरिटी राशि रू 24,02,901.94/– 02 माह के अंदर वापस किए जाए असफल रहने पर छावनी परिषद, मेरठ को 12 प्रतिशत सालाना अलग से भुगतान करना होगा। निदंशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान ने पत्र संख्या 51569/एमआरटी/कैन्ट/आरके/4/2 दिंनाक 03.05. 2017 एवं निदेशालय रक्षा सम्पदा ने भी पत्रांक 76/40/कोर्ट केस/सीसी/मेरठ/सी /डीई/2016 एफएमएस संख्या 52068 दिंनाक 31.03.2017 के माध्यम से कथित मामले मे उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी परिषद ने मै0 गौरव ट्रेडर्स मेरठ को दिंनाक 01.01.2009 से 11 माह की अवधि के लिए रू 1,21,100/– प्रतिदिन + अन्य शुल्कों सहित दिया गया था। निविदा की नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदार ने एफडीआर के रूप मे रू 4 लाख की सिक्योरिटी के रूप मे जमा कराई थी।

ठेकेदार ने अपने पत्र दिंना 17.02.2009 एवं 19.02.2009 के माध्यम से सूचित किया कि सरधना रोड पर रेलवे पुल के निर्माण के कारण सरधना रोड का यातायात मोड दिया गया जिसके कारण सरधना रोड के पथकर वसूली स्थल ने वसूली बंद होने के कारण रू 50000/– प्रतिदिन की छुंट का अनुरोध किया जिसके कार्यालय द्वारा स्वीकार नही किया गया। ठेकेदार ने दिंनाक 19.02.2009 से जान–बुझकर रू 1,27,476/– के स्थान पर रू 75,976/– जमा करने शुरू कर दिए। बोर्ड ने कब्जा नही लिया बल्कि ठेकेदार को उसके द्वारा लगाई गई बोली के अनुसार राशि जमा करने के लिए कहा।

बोर्ड ने पूर्ण बकाया राशि सिक्योरिटी राशि से काट ली। वसूली की कटौती के पश्चात, बोर्ड के द्वारा रू 8,13,882/– की राशि रखी गई। एक कार्यालय पत्रांक आर/108/टोल टैक्स/44 दिंनाक 07.06.2013 श्री महेश चंद्र कुशवाहा, एडवोकेट, छावनी परिषद को कानूनी सलाह मांगी कि क्या छावनी परिषद के उपर बकाया रू 8,13,882/– की राशि वापस कर देनी चाहिए अथवा नही। श्री महेश चंद कुशवाहा ने पत्र दिंनाक 18.06.2013 के माध्यम से मामले का परीक्षण किया एवं सलाह दी कि जैसा कि कंडिका 11 एवं 31 मे उपलब्ध है रू 8,13,882/– मे से रू 5000/– प्रतिदिन का आर्थिक दंड वसूलने के पश्चात यदि कोई राशि बचती है तो उसका जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए। नियम एवं शर्तों की कंडिका 11 एवं 13 निम्न हैः–

कंडिका संख्या 11

ठेकेदार प्रतिदिन बोली राशि जमा कराएंगे। यदि वह वह दैनिक किश्त जमा करने के असमर्थ रहता है, तो वह भुगतान की तिथि तक रू 5000/– का आर्थिक दंड देने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार 07 दिनों तक दैनिक किश्त जमा करने मे असमर्थ रहता है तो छावनी परिषद/मुख्य अधिशासी अधिकारी सिक्योरिटी राशि से कटौती करने एवं निविदा को समाप्त करने के लिए अधिकृत है। ठेकेदार के पास निविदा को जारी रखने एवं सिक्योरिटी राशि को वापस करने का कोई अधिकार नही होगा।

कंडिका संख्या 31

ठेकेदार मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों/आदेशों का तत्काल पालन करेगा, मुख्य अधिशासी अधिकारी को यह शक्ति प्रदत्त होगी कि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी आदेश/निर्देश का पालन नही किया जाता है या अनुबंध की किसी शर्त का उलंघन किया जाता है तो वह आर्थिक दंड लगा सकते है जो रू 5000/– प्रतिदिन से ज्यादा नही होगा।

कार्यालय ने पत्रांक आर/108/टोल टैक्स दिंनाक 25.06.2013 के माध्यम से श्री महेश चंद्र कुशवाहा, एडवोकेट, छावनी परिषद से कानूनी सलाह मांगी कि क्या बोर्ड 07 दिनों तक या ठेके का कब्जा लेने तक आर्थिक दंड लगा सकता है। श्री महेश चंद कुशवाहा ने पत्र दिंनाक 26.06.2013 के माध्यम से सुझाया कि बोर्ड जैसा कि निविदा अनुबंध की कंडिका 31 मे उपलब्ध है उसके अनुसार रू 5000/– प्रतिदिन का आर्थिक दंड लगा सकता है।

बोर्ड ने दिंनाक 08.04.2009 को 11 महीनों की अवधि के लिए दैनिक अखबारों मे व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात नई निविदाएं आमंत्रित की गई। श्री प्रमोद कुमार रविन्द्र कुमार के द्वारा लगाई गई सर्वाधिक बोली रू 94,000/– प्रतिदिन + अन्य शुल्क अध्यक्ष छावनी परिषद द्वारा दिंनाक 22.04.2009 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया गया। कार्यालय ने दिंनाक 22.04.2009 को 2400 बजे मै0 गौरव ट्रेडर्स से सभी पथकर वसूली केन्द्रों का कब्जा ले लिया एवं श्री प्रमोद कुमार रविन्द्र कुमार को दिंनाक 23.04.2009 बो दे दिया।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड नोटिस पर विचार कर निर्णय ले।

587. संकल्प

विचार किया गया। श्री विपिन सोढी ने कहा कि वापसी की दावा समय अवधि पूर्ण होने के बाद किया गया है एवं राशि वापस नही की जानी चाहिए। विस्तृत चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि लिमिटेशन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ मे कानूनी राय ली जाए एवं राय बोर्ड के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए रखी जाए।

५८८. वर्ष २०१७–१८ के लिए स्टोर की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा।

वर्ग 'ए' समूह (जनरल आईटम) के स्टोर की वार्षिक आपूर्ति के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिंनाक 08.05.17 को ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की। 08 बोलीकर्ताओं/फर्मों ने भाग लिया

एवं केवल 05 बोलीकर्ता/फर्म वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाई गई। वित्तीय बोली दिंनाक 17.05.17 को खोली गई। प्राप्त दरों से तुल्नात्मक विवरण तैयार किया गया। न्यूनतम दरों को तुल्नात्मक विवरण मे लाल रंग से दिखाया गया है। बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित की दरों की तुलना करने पर प्राप्त दरें उचित लगती है।

सभी 05 बोलीकर्ताओं/फर्मों द्वारा उद्वत दरों का तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पत्रावली बोर्ड के विचारार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

588. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

५८९. वर्ष २०१७–१८ के लिए स्टोर की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा।

वर्ग 'बी' समूह (जनरल आईटम) के स्टोर की वार्षिक आपूर्ति के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिंनाक 08.05.17 को ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की। 03 बोलीकर्ताओं/फर्मों ने भाग लिया एवं केवल 02 बोलीकर्ता/फर्म वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाई गई। वित्तीय बोली दिंनाक 17.05.17 को खोली गई। प्राप्त दरों से तुल्नात्मक विवरण तैयार किया गया। न्यूनतम दरों को तुल्नात्मक विवरण मे लाल रंग से दिखाया गया है। बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित की दरों की तुलना करने पर प्राप्त दरें उचित लगती है।

सभी 05 बोलीकर्ताओं/फर्मों द्वारा उद्वत दरों का तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पत्रावली बोर्ड के विचारार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

589. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

५९०. वर्ष २०१७–१८ के लिए स्टोर की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा।

वर्ग 'सी' समूह (जलापूर्ति सामान/आईटम) के स्टोर की वार्षिक आपूर्ति के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिंनाक 08.05.17 को ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की। 05 बोलीकर्ताओं/फर्मों ने भाग लिया एवं केवल 02 बोलीकर्ता/फर्म वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाई गई। वित्तीय बोली दिंनाक 17.05.17 को खोली गई। प्राप्त दरों से तुल्नात्मक विवरण तैयार किया गया। न्यूनतम दरों को तुल्नात्मक विवरण मे लाल रंग से दिखाया गया है। बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित की दरों की तुलना करने पर प्राप्त दरें उचित लगती है।

सभी 05 बोलीकर्ताओं/फर्मों द्वारा उद्वत दरों का तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पत्रावली बोर्ड के विचारार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

590. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

५६१. वर्ष २०१७–१८ के लिए स्टोर की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा।

वर्ग 'डी' समूह (सफाई आईटम) के स्टोर की वार्षिक आपूर्ति के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिंनाक 08.05.17 को ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की। 07 बोलीकर्ताओं/फर्मों ने भाग लिया एवं केवल 06 बोलीकर्ता/फर्म वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाई गई। वित्तीय बोली दिंनाक 17.05.17 को खोली गई। प्राप्त दरों से तुल्नात्मक विवरण तैयार किया गया। न्यूनतम दरों को तुल्नात्मक विवरण मे लाल रंग से दिखाया गया है। बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित की दरों की तुलना करने पर प्राप्त दरें उचित लगती है।

सभी 05 बोलीकर्ताओं/फर्मों द्वारा उद्वत दरों का तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पत्रावली बोर्ड के विचारार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

591. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

५६२. वर्ष २०१७–१८ के लिए स्टोर की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा।

वर्ग 'ई' समूह (अभियांत्रिक आईटम) के स्टोर की वार्षिक आपूर्ति के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिंनाक 08.05.17 को ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की। 08 बोलीकर्ताओं/फर्मों ने भाग लिया एवं केवल 05 बोलीकर्ता/फर्म वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाई गई। वित्तीय बोली दिंनाक 17.05.17 को खोली गई। प्राप्त दरों से तुल्नात्मक विवरण तैयार किया गया। न्यूनतम दरों को तुल्नात्मक विवरण मे लाल रंग से दिखाया गया है। बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित की दरों की तुलना करने पर प्राप्त दरें उचित लगती है।

सभी 05 बोलीकर्ताओं/फर्मों द्वारा उद्वत दरों का तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पत्रावली बोर्ड के विचारार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

592. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

५६३. वर्ष २०१७–१८ के लिए स्टोर की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा।

वर्ग 'एफ' समूह (अभियांत्रिकी आईटम) के स्टोर की वार्षिक आपूर्ति के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिंनाक 08.05.17 को ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की। 08 बोलीकर्ताओं/फर्मों ने भाग लिया एवं केवल 05 बोलीकर्ता/फर्म वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाई गई। वित्तीय बोली दिंनाक 17.05.17 को खोली गई। प्राप्त दरों से तुल्नात्मक विवरण तैयार किया गया। न्यूनतम दरों को तुल्नात्मक विवरण मे लाल रंग से दिखाया गया है। बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित की दरों की तुलना करने पर प्राप्त दरें उचित लगती है।

सभी 05 बोलीकर्ताओं/फर्मों द्वारा उद्वत दरों का तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पत्रावली बोर्ड के विचारार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

593. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

५९४. वर्ष २०१७–१८ के लिए स्टोर की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा।

वर्ग 'एफ' समूह (अभियांत्रिकी आईटम) के स्टोर की वार्षिक आपूर्ति के लिए ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिंनाक 08.05.17 को ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की। 06 बोलीकर्ताओं/फर्मों ने भाग लिया एवं केवल 04 बोलीकर्ता/फर्म वित्तीय बोली खोलने के लिए सक्षम पाई गई। वित्तीय बोली दिंनाक 17.05.17 को खोली गई। प्राप्त दरों से तुल्नात्मक विवरण तैयार किया गया। न्यूनतम दरों को तुल्नात्मक विवरण मे लाल रंग से दिखाया गया है। बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित की दरों की तुलना करने पर प्राप्त दरें उचित लगती है।

सभी 05 बोलीकर्ताओं/फर्मों द्वारा उद्वत दरों का तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पत्रावली बोर्ड के विचारार्थ पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

594. संकल्प

विचार कर मामले को वित्त समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।

५९५. पत्थरों की मरम्मत एवं ऐतिहासिक जगहों(विरासत चिन्ह) की सरहदबंदी।

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी क्षेत्र मे विभिन्न जगह जो ऐतिहासिक महत्तव रखती है पर छावनी परिषद द्वारा पत्थर लगाए गए है जिन पर उन जगहों का ऐतिहासिक जानकारी दिखाई गई है। वर्तमान मे, कई जगह वे क्षतिग्रस्त हो गए है एवं उनकी मरम्मत एवं जीर्णोद्वार की आवश्यकता है, जिसके लिए जनता एवं प्रेस से भी हवाले प्राप्त हुए है। छावनी अधिनियम 2006 के अनुसार बोर्ड को ऐसी जगहों की देखरेख करनी होगी।

बोर्ड विरासर चिन्हों एवं पत्थरों आदि की मरम्मत एवं बढाने हेतू विचार करने।

595. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि मु.अ.अ. खर्च कर सभी आवश्यक मरम्मत कराएंगे।

५९६. प्रवेश स्थलों पर नियोन साईनेज/लाईटिड लेटर बोर्ड लगाना।

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी के प्रवेश स्थल सरधना रोड पर स्मार्ट कैन्ट का नियोन साईनेज/लाईटिड लेटर बोर्ड लगा हुआ है।

छावनी मे कई प्रवेश स्थल है जिन्हे स्मार्ट कैन्ट कार्यों के अंतर्गत आस पास के क्षेत्र को सुंदर बनाने के साथ साथ नियोन साईनेज/लाईटिड लेटर बोर्ड को लगाकर आकर्षक बनाया जा सकता है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

५९६. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि कार्यसूची मे उल्लिखत कार्य/कार्यकलाप स्मार्ट कैन्ट के अंतर्गत सभी प्रवेश स्थलों पर कराए जाए। मु.अ.अ खर्च करने के लिए अधिकृत है।

५९७. बंगला संख्या १८०, आबुलेन, मेरठ छावनी मे शादी समारोह की सुविधा का स्थापन करना।

बंगला संख्या 180, आबुलेन, मेरठ छावनी को 20 वर्ष की अवधि हेतु लीज पर लेकर पूर्णत अस्थायी ढांचे से बैंकट हॉल स्थापित करने के सम्बन्ध मे सेवन वंडर्स इंटरनैशनल से प्राप्त पत्र दिंनाक 26.04.2017 पर विचार करने हेतू।

कम्पनी ने अपनी संस्था की विस्तृत प्रोफाईल के साथ उसके द्वारा किए गए परियोजना की जानकारी संलग्न की है।

बोर्ड को सूचनीय है कि बंगला संख्या 180, आबुलेन, मेरठ छावनी की कथित भूमि 'सी' वर्ग भूमि है जो छावनी परिषद के प्रबंधन मे है जिसका खसरा संख्या 357/26 एवं जीएलआर के अनुसार कुल क्षेत्रफल 1.5374 एकड है। जीएलआर मे जगह ''शॉपिंग कॉप्लेक्स कम सिनेमा (पूर्व मे बंगला संख्या 180–180ए) आबुलेन'' उल्लिखित है। बोर्ड ने छा0बो0स0 संख्या 39 दिंनाक 29.01.2010 के माध्यम से सिने मल्टीप्लैक्स ऑन बिल्ड ऑपरेट एवं ट्रांस्फर (बीओटी) आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया एवं तद्वनुसार, जीओसी इन सी, मुख्यालय मध्य कमान को पत्रांक 164/ई–5/2009–10/सिने मल्टीप्लैक्स/167 दिंनाक 22.03.2010 के माध्यम से के प्रस्ताव अग्रेषित किया गया था।

निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान ने पत्र संख्या पीसी–35748/एमआरटी/2003–04/एलसी–5 दिंनाक 30.04.2015 के माध्यम से प्रस्ताव को वापस कर दिया इस टिप्पणी के साथ कि प्रस्ताव अधूरा एवं कमियों से पूर्ण है एवं समय बीतने के कारण अप्रासंगिक है एवं बोर्ड को होने वाले हित एवं पर विचार किया एवं योजना के लिए बोर्ड द्वारा पुनः देखा जाए।

सैवेन वंडरस इंटरनेशनल के प्राप्त पत्र सहित कम्पनी की प्रोफाईल पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

597. संकल्प

बोर्ड ने कार्यबिंदु को नोट किया। विचार कर निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

५६८. रूडकी रोड माल रोड सिंग, मेरठ छावनी के आसपास के क्षेत्र एवं राउंडलस एवं वाटरफाल का रखरखाव।

जनरल प्रबंधक, दैनिक जागरण से प्राप्त पत्र दिंनाक 06.04.2017 जिसमे उन्होने अनुरोध किया है कि रूडकी रोड माल रोड सिंग एवं वॉटर फाल, मेरठ छावनी के आस पास का क्षेत्र एवं राउंडलस के रखरखाव के लिए दिंनाक 01.09.2015 से अन्य 03 वर्षों के लिए बढाने का अनुरोध किया है पर विचार करने हेतु।

कार्यालय ने पत्र संख्या 164/ई–5/जागरण फॉल/732 के माध्यम से नवीनीकरण की अनुमति पर विचार करते समय बोर्ड द्वारा जागरण फॉल के बिजली शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध मे लिए गए निर्णय के क्रम मे दैनिक जागरण प्राधिकारी को सूचित किया था। जनरल प्रबंधक, दैनिक जागरण ने सूचित किया है कि उन्होने उस जगह पर कार्य कराने पर लगभग रू 7 लाख का निवेश किया है एवं उस समय ऐसा आश्वस्त किया गया था कि उनसे एक कम रखरखाव शुल्क ही लिया जाएगा। अतः वर्ष 2015 से अनुबंध का नवीनीकरण नही किया गया, परन्तु दैनिक जागरण के बोर्ड उस जगह पर अभी भी लगे है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

598. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया कि बोर्ड द्वारा पूर्व मे लिया गया निर्णय यथावत रहेगा। दैनिक जागरण के प्राधिकारी को जो राशि जमा करने के लिए सम्पंर्क किया गया था उसे जमा करने के लिए कहा जाए।

जनरल प्रबंधक द्वारा उपरोक्त संशोधन स्वीकार न करने की स्थिति मे, दैनिक जागरण के सभी होर्डिंग उतार दिए जाए एवं चौराहे को छावनी परिषद द्वारा बिना होर्डिंग लगाए रखरखाव किया जाए।

५६९. कुत्तों के खतरे से रोकथाम।

बोर्ड को सूचनीय है कि नागरिक क्षेत्र के साथ साथ सैन्य क्षेत्र मे से नागरिकों एवं सैन्य कार्मिकों से कुत्तों के खतरे के सम्बन्ध मे बहुत सी शिकायते प्राप्त हुई है। छावनी क्षेत्र मे कुत्तों के खतरे से रोकथाम के लिए बोर्ड को कानून के अंतर्गत निर्णय लेना है।

बोर्ड मामले पर विचार कर निर्णय ले।

599. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि छावनी क्षेत्र मे कुत्तों के प्रकोप से रोकथाम के लिए प्रयास करने के लिए एक एनजीओ से सम्पंर्क किया जाए एवं बोर्ड के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव रखा जाए।

६००. ओडीएफ की घोषणा (खुले मे शौच मुक्त)

बोर्ड को सूचनीय है कि जिला प्रशासन के द्वारा दिंनाक 31.05.2017 तक सभी जनपदों को खुले मे शौच मुक्त घोषित करने की योजना बनाई गई है। छावनी परिषद के उच्च अधिकारी भी समान रूप से उक्त तारिख से पूर्व मेरठ छावनी की घोषणा के प्रति संज्ञानार्थ है।

बोर्ड को यह भी सूचनीय है कि वार्ड संख्या 5 व 8 को छोडकर 06 वार्डों के 06 निर्वाचित सदस्यों ने जल एवं सफाई मंत्रालय के ओडीएफ के प्रोटोकोल के अनुसार आवश्यक अपना प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया है एवं बोर्ड ने कथित 06 वार्डों को ओडीएफ घोषित करने का संकल्प लिया है। कार्यालय द्वारा आपत्ति आमंत्रित की गई एवं उसके पश्चात राज्य सरकार प्राधिकारियों से इन वार्डों को अंतिम रूप से ओडीएफ घोषित करने के लिए सत्यापन समिति को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया। वार्ड संख्या 5 एवं 8 के वार्ड सदस्यों ने आवश्यक प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया है हालाकि ये वार्ड भी ओडीएफ प्रोटोकोल के अंतर्गत योग्य है। वार्ड संख्या 5 के वार्ड सदस्य ने अब प्रमाण पत्र दे दिया है। हालाकि, श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य, वार्ड संख्या 8 ने कार्यालय द्वारा बार बार अनुरोध करने एवचं सभी सभी स्पष्टीकरण एवं प्रोटोकोल आवश्यकताओं की पुष्टि करने के बावजूद आवश्यक प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया है। इसके कारण पूर्ण मेरठ छावनी को ओडीएफ घोषित करने के लिए मामला प्रक्रिया मे लाना संभव नही है। चुकि अंतिम तारिख निकट है एवं उच्चअधिकारी भी बोर्ड द्वारा प्रगति की अनुपस्थिति पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे है, एवं चुकि कार्यालय वार्ड संख्या 8 के निर्वाचित सदस्य से प्रमाणिकता प्राप्त करने के सभी जतन कर चुका है परन्तु उसे प्राप्त करने मे सफल नही हो पाया है, इस तथ्य के बावजूद कि वार्ड संख्या 8 भी घोषणा के लिए योग्य है, मामला बोर्ड को नोट करने एवं आवश्यक कार्यवाही/निर्णय के लिए भेजा गया है।

बोर्ड इसे नोट करे कि बोर्ड को वार्ड/छावनी को ओडीएफ घोषित करने के लिए संकल्प लेने, जन आपत्ति आमंत्रित करने एवं उसके बाद राज्य सरकार प्राधिकारी से निरीक्षण करने एवं अंतिम प्रमाणिकता करने की आवश्यकता है। यह कदम वार्ड संख्या 5 एवं 8 के मामले मे दिसम्बर 2016 से लंबित है। अतः, बोर्ड तत्काल आधार पर आगे की कार्यवाही के लिए निर्णय ले।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

600. संकल्प

मु.अ.अ. ने कार्यसूची को पढकर सुनाया एवं बोर्ड को ओडीएफ प्राटोकोल के बारे मे विस्तृत रूप से बताया, कि छावनी के सभी वार्ड ओडीएफ घोषित करने के लिए सक्षम है परन्तु वार्ड 8 के निर्वाचित सदस्य श्री विपिन सोढी ने वार्ड सदस्य द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नही किए है। श्री विपिन सोढी ने अपने ढंग से समझाते हुए कहा कि उनके वार्ड के समूह शौचालयों मे मरम्मत की आवश्यकता है एवं वह उनकी मरम्मत के बाद ही हस्ताक्षर करेंगे। मु.अ.अ. ने सूचित किया कि स्वच्छ भारत अभियान कार्यकलाप एवं स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत सामूहिक शौचालयों की मरम्मत की विस्तृत योजना तैयार की गई है एवं जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 मे कराये जाने वाले कार्यों मे बजट व्यवस्था भी रखी गई है। उन्होने श्री विपिन सोढी से इसपर विचार करने एवं प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा क्योकिं यह वार्ड संख्या 8 को प्रारंभिक तौर पर ओडीएफ घोषित करने के लिए आवश्यक है। हालाकिं, श्री विपिन सोढी अडे रहे। बोर्ड ने स्थिति पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि मेरठ छावनी के पूर्व मे घोषित किये गए 06 वार्डों के साथ साथ वार्ड संख्या 05 को भी ओडीएफ घोषित किया जाए। राज्य सरकार की सम्बन्धित प्राधिकारी से ओडीएफ प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणन के लिए संम्पर्क साधा जाए।

श्री विपिन सोढी ने असहमति नोट दिया जो नीचे चस्पा है :–

श्री विपिन सोढी, सदस्य वार्ड ८ द्वारा दिया गया असहमति नोट/संकल्प

This agenda is only related to Ward- 8 and its Member:

It is genuinely a serious issue . My previous letter dated 01.12.2016 has not been mentioned by Learned Secretary. I had mentioned in said letter that the format, send to me and office requires the Member to give (open defecating free) ODF declaration by a Member involves various notion. It was requested that On going through it that as certain obligations are first and foremost to be fulfilled by Cantonment Board Office, it should be promptly done and completed, and intimated to me. It was also requested that under guide lines of G.O.I it should not be mere formality and public interest should prevail over formality and personal achievements . Rather a reply letter dated 2.12.2016 was sent in which the C.E.O. categorically agreed that some issue raised by me were correct, still insisted to sign the declaration without completing the same.

Surprisingly thereafter till date nothing has been intimated to me, as desired.

First declaration is " At any point in a day no body in the ward is found defecating in the open ." How such a declaration can be given by a elected Member. It is totally unconstitutional. How can a Member vouch this declaration specially when it is very vague .

Second declaration is" All the house hold in the Ward that have space to construct toilets, have constructed one." For this I had requested in my letter dated 1.12.2016 under Point 1, that a public notice in leading Hindi and English Newspapers, should be published calling the inhabitants , owners/occupiers of house in Cantonment of Meerut to construct toilets in their houses. If they don't have, they should file application with the Cantonment Board and take immediate sanction by the Competent Authority etc.

No such public notice was published nor intimated to me . can a Member is expected to visit each and every house, inspect and satisfy that every house having space there in has a toilet and if not , has been requested , to construct the toilet and has accepted the request and constructed it , totally illogical . No such declaration can be given until formality is completed and things are verified and reported parallel also by the Cantonment Board staff . It is also relevant to state that the C E O on one hand is putting up this agenda in Board Meeting to get the Cantonment of Meerut declare O D F , and on other hand issuing notices for demolition of toilets . It is totally dual policy, against the SWACHH HARAT ABHIYAN SCHEME , launched by Indian Ministry of Drinking Water and Sanitation , specially when G.O.I is giving subsidy on toilet construction INR 12000.00.

Government is seriously concerned about implementation of clean India Campaign . Government has shown all concern's about public health& Human dignity perspectives Eliminating open defecation is the aim. Public is needed to be educated/convinced to refrain from open defecation and use toilets. It is an important part of development efforts also .About one billion people or 15% of the global pollution practice open defecation in which India has the highest number around 490 million people or nearly 1/3rd of the population , though mostly in rural areas i.e. 52% population as opposed to urban area 7.5% of population .

Third declaration is." All occupants of house hold in the Ward that don not have space to construct toilets, have access to community toilets within a distance of 500 meters ".

People defecate in open because;

unsheild the picture behind the curtains. Frankly it is a fraud on total sanitation campaign of India re-launched as National Bharat Abhiyan 2012 and integrated into wider Clean India Mission in 2014 and Swachh Bharat Abhiyan.

Fourth declaration." All Commercial area in he Ward have public toilets with distance of 1 KM"

Details have beengiven here in above in the preceding paragraphs .

Fifth declaration is ." All primary and secondary schools in the Ward have submitted self – declarations to me that all their enrolled students have access to and are routinely using toilets at home and school"

The report is to be submitted to the Ward Member by all Schools as per declaration form . No such report till date has been submitted . The office and CEO has stated that such declaration have been obtained by them of their own but no copy supplied for verification, in order to process and give my declaration .

Sixth declaration ," All self- help groups in the ward have submitted self declaration to me that all residents of the ward have access to, and are routinely using , toilets at home"

The report is to be submitted to the Ward Member by all self help groups . No such report till date has been submitted with me . The office and CEO has stated that such declaration has been obtained by them of their own, but no copy supplied for verification, in order to process and give my declaration .

This matter has large implications and can not be taken lightly. We can not play fraud on public. The mission is very important and we should participate in it honestly, and bonafidely with object and aim of giving it complete justice.

Therefore , under such circumstances I at last is duty incumbent to follow the Mission honestly and will only give declaration after above formalities are completed in my Ward under Guide lines of G.O.I. Mere formality shall be cheating with the G.O. I and Public. Public interest should prevail over private aims and formality solicited. The C.E.O. to comply with and take immediate necessary action as advised and requested under letter dated 01.12.2016 and hereinabove.

Sd/xxx
(Vipin Sodhi)
Member
dated 06.06.2017

६०१. <u>छावनी परिषद कर्मचारियों एवं पेंशनरों को नगदरहित चिकित्सा सुविधा।</u>

छावनी परिषद कर्मचारी संघ, मेरठ द्वारा दिए गए प्रतिवेदन दिंनाक 01.06.2017 जिसमे उन्होने अनुरोध किया है कि छावनी परिषद के कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार की तर्ज पर गंभीर इलाज के लिए अधिकृत उच्च चिकित्सा केन्द्र/नर्सिंग होम मे नगदरहित इलाज की सुविधा प्रदान की जाए एवं उसका खर्च बोर्ड वहन करे पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि छावनी परिषद के एक स्वत्त निकाय होने के नाते उसके कर्मचारी उ0प्र0 राज्य सरकार के अंतर्गत समान पदो ंके बराबर है।

प्रतिवेदन पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

601. संकल्प

विचार किया गया। आवश्यक रूपरेखा एवं वित्तीय फर्क निकाला जाए एवं अन्य ब्यौरों सहित बोर्ड के समक्ष अगली बैठक मे रखा जाए।

६०२. <u>मोशन</u>

निर्वाचित सदस्य श्री नीरज राठौर, श्री अनिल जैन, श्री धर्मेन्द्र सोनकर एवं श्री विपिन सोढी द्वारा दिया गया मोशन दिंनाक 30.05.2017 पर विचार करने हेतु।

<u>Replacing of boundary wall with Iron Grill at Eastern and Northern boundary wall of Gandhi Bagh, Meerut Cantt.</u>

We the under signed members request that this matter be put up in the agenda in the Cantonment Board Meeting dated 05.06.2017.

Recently the State Government has put in good efforts establishing Anti Romio Squad to , check the unwarranted activities. Gandhi Bagh is on of the most prominent place of Meerut where number of people visit. The Southern and Western boundary walls of Gandhi Bagh are of Iron gril which were erected with the purpose that all activities inside the Gandhi Bagh could be visible from out side the Gandhi Bagh, so that no untoward incident can take place. Further to check illegal activities and elements from out side Gandhi Bagh also. Since the Northern and Eastern boundary wall of Gandhi Bagh ceases privacy, therefore it is necessary that the said two boundary walls be re-placed with Iron Grill for security and safety purpose in police interest.

Dated:30.05.2017

Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx
Shri Neeraj Rathore	Shri Anil Jain	Shri Dharminder Sonkar	Shri Vipin Sodhi

602. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि फिलहाल मौजूदा स्थिति को जारी रखा जाए। मामला जब आवश्यक हो निधि की उपलब्धता पर बोर्ड के समक्ष बाद मे रखा जाए।

६०३. **मोशन**

निर्वाचित सदस्य श्री नीरज राठौर, श्री अनिल जैन, श्री धर्मेन्द्र सोनकर एवं श्री विपिन सोढी द्वारा दिया गया मोशन दिंनाक 30.05.2017 पर विचार करने हेतु।

Gaushala.

We the under signed members recommended that this matter to you. This matter be out up in the Agenda of the Cantonment Board Meeting.

Central Government and State Government have shown all concern pertaining to security of Cows in the co untry/State. Installation of Gaushala are meant for safety and security of Cows. We hereby propose that in the Cantonment area of Meerut also there should be a Gaushala and a such a Gaushala be open. In the Cantonment Board, Meerut there is one Kanzi House in the back side of Sadar Police Station. It is huge place which shall be very much suited for creation of Gaushala in the Cantonment of Meerut. Therefore seeing the desire of Central Government and State Government and as a step in aid under the Smart Cantonment of Meerut scheme we hereby propose that a Gaushala be established in the Meerut ?Cantonment for protection and up keep of Cows and other ancilliary purposes.

Dated:30.05.2017

Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx
Shri Neeraj Rathore	Shri Anil Jain	Shri Dharminder Sonkar	Shri Vipin Sodhi

603. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया गौशाला की स्थापना करने की रूपरेखा एवं ब्यौरा तैयार किया जाए एवं बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

६०४. **मोशन**

निर्वाचित सदस्य श्री नीरज राठौर, श्री अनिल जैन, श्री धर्मेन्द्र सोनकर एवं श्री विपिन सोढी द्वारा दिया गया मोशन दिंनाक 30.05.2017 पर विचार करने हेतु।

Installation of New Electric Iron Pole and lighting on them.

Under the resolution no. 505 dated 27.02.2017 the Board has considered for purchase of 300 new LED lights. In the respective wards we the under signed members under the public demand and as per survey conducted by the respective members ,there is necessity of atleast 50 Iron poles with light in each ward. Under the Meerut Smart Cantonment and under previous electric scheme the purchase of new Iron Poles is necessary. As per the demand of the day and the public is feeling inconvenience. With the erection of electric poles and light untoward incident loitering, and theft will also be out to check. We hereby propose that atleast 50 Iron poles with LED lights be approved in the under mentioned respective wards nos. 4,5,7 and 8 in public interest.

Dated:30.05.2017

Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx
Shri Neeraj Rathore	Shri Anil Jain	Shri Dharminder Sonkar	Shri Vipin Sodhi

604. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि कार्यालय द्वारा प्रत्येक वार्ड मे नए बिजली के खंबे लगाने की आवश्यकता का पुर्ननिर्धारण किया जाए एवं बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

६०५. <u>मोशन</u>

निर्वाचित सदस्य श्री नीरज राठौर, श्री अनिल जैन, श्री धर्मेन्द्र सोनकर एवं श्री विपिन सोढी द्वारा दिया गया मोशन दिंनाक 30.05.2017 पर विचार करने हेतु।

<u>Name of Sabzi mandi sadar Bazar, Meerut Cantt.</u>

We the under signed members on public demand forward this proposal under the Smart Cantonment of Meerut that Sabzi mandi of Sadar Bazar, Meerut is one of the oldest vegetable market. Said mandi has no name. On public demand from vendors as well As from public the name of vegetable market is hereby proposed as Jain Sabzi Mandi, Sadar Bazar, Meerut. This is also public demand that in the said market no ,non vegetarian shop/Thela etc. be allowed. Thus , seeing the sentiments of the public at large under the Meerut Smart Cantonment it is proposed that the name of the Sabzi mandi be given ,"Jain Vegetable Market , Sadar Bazar, Meerut Cantt. and in Hindi ," Jain Sabzi Mandi, Sadar Bazar, Meerut Cantt." This matter be out up in the Agenda for consideration in the Cantonment Board meeting.

Dated:30.05.2017

Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx	Sd/xxx
Shri Neeraj Rathore	Shri Anil Jain	Shri Dharminder Sonkar	Shri Vipin Sodhi

605. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि सब्जी मंडी सदर बाजार मेरठ छावनी का नाम सब्जी मंडी सदर बाजार जारी रहेगा।

६०६. **मोशन**

श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य द्वारा दिया गया मोशन दिंनाक 30.05.2017 पर विचार करने हेतु।

Installation of Statue of Shaheed Matadin and Sign Boards at Football Ground, Ward-8.

Please take reference of my letter dated 11.01.2017 and your letter dated 12.201.2017 in reference to above.

You are requested to do the needful and if required under business regulations or Act, Code, may place it before the Board in coming Meeting, if not, please get it done on priority basis.

Dated:30.05.2017

Sd/xxx

Shri Vipin Sodhi

606. संकल्प

विचार किया गया। बोर्ड ने पाया कि छावनी क्षेत्र मे चौराहों एवं अन्य स्थानों पर मूर्तियाँ लगाने पर सरकार की ओर से प्रतिबंधित किया गया है। हालाकि, किसी स्थान के नाम के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही साईन बोर्ड लगाए जा सकते है। प्र.नि.र.स मध्य कमान के माध्यम से सक्षम अधिकारी को आवश्यक प्रस्ताव भेजा जाए।

६०७. **मोशन**

श्री नीरज राठौर, श्री अनिल जैन, श्री धर्मेन्द्र सोनकर एवं श्री विपिन सोढी द्वारा दिया गया मोशन दिनाँक 31.05.2017 विचार हेतु।

विषय :– छावनी परिषद् संकल्प संख्या 504 दिनांक 27.02.2017

उपरोक्त संकल्प के विषय में यह अवगत करवाना है कि संकल्प में गठित की गयी तीन सदस्यों की समिति वास्ते फडों के आवंटन हेतु, गलत गठित की गई है। कानूनी रूप से किसी भी कमेटी का फड आवंटन हेतु गठन नहीं किया जा सकता। छावनी परिषद मेरठ के तहबजारी वाईलॉज अनुसार सक्षम अधिकारी मुख्य अधिशासी अधिकारी ही है। ऐसी सूरत में संकल्प संख्या 504 दिनांक 27.02.2017 को मोडिफाई किया जाकर कमेटी भंग करी जाये तथा आवंटन अधिकार 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के सिद्धान्त पर सी0ई0ओ0 छावनी परिषद मेरठ में निहित में ही किये जाये, पारित किया जाये।

दिनांक 31.05.2017

ह0/xxx	ह0/xxx	ह0/xxx	ह0/xxx
श्री नीरज राठौर	श्री अनिल जैन	श्री धर्मेन्द्र सोनकर	श्री विपिन सोढी

607. संकल्प

विचार किया गया। चर्चा के दौरान अध्यक्ष छावनी परिषद ने पाया कि मौशन मे लिंग पक्षपात शामिल है। बोर्ड ने पाया कि समिति विषय के लिए सक्षम है एवं उसका गठन ठीक प्रकार से किया गया है। अतः समिति के गठन मे किसी परिवर्तन की आवश्यकता नही है।

६०८. मोशन

श्री नीरज राठौर, श्री अनिल जैन, श्री धर्मेन्द्र सोनकर एवं श्री विपिन सोढी द्वारा दिया गया मोशन दिनाँक 31.05.2017 विचार हेतु।

विषय :– छावनी परिषद् संकल्प संख्या 506 दिनांक 27.02.2017

उपरोक्त संकल्प गैर कानूनी, असंवैधानिक व अवैधानिक है। उक्त संकल्प के लेने के सम्बन्ध ामें कोई ऐजेंडा प्रस्ताव भी नियम अनूसार पूर्व में नही लाया गया। फाईनेंस एवं जनरल कमेटियों का गठन एक वर्ष हेतु पूर्व में हो चुका है। जिस के अनुसार विधिवत रूप से सभी कमेटियों के सभापति/चेयरमैंन भी निर्वाचित हो चुके है। कमेटियों का गठन छावनी परिषद के बिजनेस रेगुलेशन के अनुसार ही किया जाता है। कमेटी में यदि किसी भी सदस्य की रिक्ती भरी जानी है, तो उसी सूरत में छावनी परिषद में प्रस्ताव लाकर उसे भरा जा सकता है। संकल्प 506 दिनांक 27.02.2017 इस संदर्भ में जनहित में भी किसी सूरत में नही माना जा सकता। जिस का मिटिंग में लिया जाना तुरन्त एवं जरूरी हो। ऐसी सूरत में उपरोक्त संकल्प को निरस्त किया जाना न्यायहित में जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो और कानून एवं नियमों का उल्लंघन न हो।

दिनांक 31.05.2017

ह0/xxx	ह0/xxx	ह0/xxx	ह0/xxx
श्री नीरज राठौर	श्री अनिल जैन	श्री धर्मेन्द्र सोनकर	श्री विपिन सोढी

608. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि जनरल समिति के गठन को बदलने का कोई आधार नही है एवं बोर्ड की कार्यवाही बोर्ड के कार्य विनियमन की अनुसार/अनुरूप है।

६०९. मोशन

श्रीमति बीना वाधवा, उपाध्यक्ष, श्रीमति रिनी जैन, श्रीमति बुशरा कमाल, श्री अनिल जैन, एवं श्री धर्मेन्द्र सोनकर द्वारा दिया गया मोशन दिनाँक 01.06.2017 विचार हेतु।

विषय :– छावनी परिषद मेरठ के कर्मचारी मिर्जा अकरम द्वारा फर्जी, झूँठे, कागजातों से धोखाधडी करते हुए, नौकरी प्राप्त करना।

प्राप्त अन्तरिक सूचना अनुसार यह संज्ञान में आया है कि अकरम पुत्र जमील मिर्जा ने फर्जी, झूँठे जाली कागजात परिषद में नौकरी हेतु दाखिल कर धोखाधडी से नौकरी प्राप्त करी है। अकरम ने आश्रित श्रेणी में अपने भाई की बीमारी की ऐवज में आवेदन किया था। जब कि भाई की पत्नी बच्चे

आदि सभी जिन्दा है। अकरम अपने भाई के परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत नही आता है व चौकीदर के पद पर भर्ती बताया जाता है और इस वक्त बतौर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत है।

आपसे निवेदन है कि संदर्भित कर्मचारी का विषय बहुत गंभीर प्रवृति का है जिसमें सीधे आप व परिषद पर गम्भीर आरोप लग सकते है। चूँकि यह मुकदमा सामने आया है इस की तुरत्न उच्च जांच हानी आवश्यक है। ऐसे आदेश पारित किये जाये। एवम् इस विषय को आगामी बोर्ड बैठक तिदनांक 05. 06.2017 में भी सम्पूर्ण रिकाड्ड के साथ रखने के आदेश फरमाये जाये। रखा जाये।

दिनांक 1.06.2017

ह0/xxx	ह0/xxx	ह0/xxx	ह0/xxx
श्रीमति बीना वाधवा,	श्रीमति रिनी जैन	श्रीमति बुशरा कमाल	श्री अनिल जैन
ह0/xxx			
श्री धर्मेन्द्र सोनकर			

609. संकल्प

श्रीमती बीना वाधवा, श्रीमती रिनी जैन एवं श्रीमती बुशरा कमाल ने अध्यक्ष छावनी परिषद को सूचित किया कि वे अपना मोशन वापस ले रहे है। अतः, मोशन को समाप्त किया गया।

श्री अनिल जैन ने कहा कि उन्होने सम्बन्धित कर्मचारी के बारे मे सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं मांगी थी परन्तु वह नही दी गई। अध्यक्ष छावनी परिषद ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील करने का प्रावधान है जो वह कर सकते है। अपीलीय अधिकारी उस की योग्यता पर निर्णय लेंगे। उन्होने कहा कि उन्होने श्री अकरम की छावनी परिषद की नौकरी मे नियुक्ति के सम्बन्ध मे शिकायत भी की थी। बोर्ड ने नोट किया किया चुंकि कर्मचारी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, अतः, बोर्ड का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नही है। उसकी नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक अधिकारी केवल मु.अ.अ है। यदि श्री अनिल जैन कोई शिकायत करना चाहते है तो वह मु.अ.अ. से कर सकते है जो मामले का संज्ञान लेंगे।

६१०. <u>संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन दरों मे संशोधन।</u>

आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए गए अकुशल/अर्द्ध कुशल/अतिकुशल कर्मचारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम मजदूरी दरों पर विचार एवं अनुमोदित करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली ने अधिसूचना दिंनाक 17. 03.2017 के माध्यम से सभी वर्ग के कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को निम्न प्रकार संशोधित कर दिया हैः–

बोर्ड मजदूरी का भुगतान निम्न प्रकार कर रहा हैः–

अकुशल : रू 294/– प्रतिदिन

अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण : रू 333/– प्रतिदिन
कुशल/लिपिकीय : रू 390/– प्रतिदिन

भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दरों को निम्न प्रकार संशोधित किया है:–

अकुशल : रू 437/– प्रतिदिन
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षण : रू 494/– प्रतिदिन
कुशल/लिपिकीय : रू 579/– प्रतिदिन
सम्बन्धित अधिसूचना पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

610. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना दिंनाक 17.03.2017 के आधार पर कार्यसूची मे उल्लिखित संविदा कर्मचारियों के दैनिक वेतन की संशोधित दरों को अनुमोदित किया गया।

६११. <u>पम्प कक्ष ढांचे की व्यवस्था।</u>

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 414 दिंनाक 26.11.2014।

जलापूर्ति परियोजना के स्वीकृत 04 बोरवेल स्थलों पर पम्पकक्ष ढांचे (सिविल कार्य) की व्यवस्था पर विचार करने हेतू।

जलापूर्ति परियोजना सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी एवं इस कार्यालय को महानिदेशालय रक्षा सम्पदा के पत्र संख्या 9/64/दानापुर/आई/सी/डीई/2014–15 दिंनाक 03.03.2015 के माध्यम से बताया गया था। जलापूर्ति परियोजना निम्नलिखित स्थलों पर 04 वीटी पम्प मोटर लगाने के साथी स्वीकृत हुई है:–

1. भैंसाली ग्राउंड, सदर बाजार
2. डी बाबा रजबन बाजार के निकट
3. ओएचटी जामुन मौहल्ला, लालकुर्ती के निकट
4. ओएचटी रविन्द्रपुरी, सदर के निकट

बोड्र को सूचनीय है कि पम्प कक्ष ढांचा (सिविल कार्य) उपरोक्त 04 जगहों पर उपलब्ध कराया जाए। पम्प कक्ष ढांचा उपलब्ध कराना वीटी पम्प मोटर के संचालन एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एमईएस एसएसआर 2010 के आधार पर आंकलन तैयार कर लिये गए है जो रू 5,98,326.00 की दर से रू 23,93,304/– आता है। कार्यालय ने उपरोक्त के लिए एमईएस द्वारा पुनरीक्षण के लिए आंकलन भेज दिए है।

आंकलन सहित चित्र पटल पर प्रस्तुत है। कार्य वास्तविक कार्य है एवं खर्च मद्द डी1(ए) मे से लिया जाएगा। बजट आंकलन (संशोधित) 2017–18 के अंतर्गत व्यवस्था रखी गई है जो जीओसी इन सी को भेजे जा रहे है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

611. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि उपरोक्त 04 स्थलों पर पम्प कक्ष ढांचा उपलब्ध कराना वीटी पम्प मोटर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है अतः, एमईएस एसएसआर 2010 के आधार पर आंकलन तैयार किए गए जो रू 5,98,326.00 की दर से रू 23,93,304/– आता है को अनुमोदित किय गया। प्र.नि.र.स के माध्यम से जीओसी इन सी, मध्य कमान से स्वीकृती प्राप्त की जाए जिसके लिए मु.अ.अ. द्वारा प्रस्ताव किया जाए।

६१२. <u>वर्ष २०१७–१८ के दौरान छावनी निधि सडकों का हॉट मिक्स पेवर द्वारा वार्षिक मरम्मत/रखरखाव।</u>

मेरठ छावनी मे वर्ष 2017–18 के लिए सडकों के पुर्नआवरण/मरम्मत कार्य के लिए मै0 आर0एस0 बिल्डर्स एवं मै0 जुनेजा कन्सट्रक्शंनस प्रा0 लि0 द्वारा उद्वत एमईएस एसएसआर 2010 पर 66 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर विचार करने हेतु।

1. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिंनाक 01.05.2017 को राष्ट्रीय/स्थानीय अखबारों मे विज्ञापन देने के साथ साथ ई–पब्लिशिंग कर दो बोली बोली प्रणाली तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के लिए ऑनलाईन ई–निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

2. 03 बोलीकर्ताओं/फर्मों ने भाग लिया एवं सभी फर्म/ठेकेदार वित्तीय बोली खोलने के लिए योग्य पाए गए। तद्वनुसार, वित्तीय बोली दिंनाक 31.05.2017 को खोली गई। 03 ठेकेदारी वाली फर्मों से निम्न दरें प्रात्त हुईः–

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम	एमईएस एसएसआर 2010 पर उद्वत दरें
1.	मै0 जीत कन्सट्रक्शनस	67.00% above MES SSR 2010
2.	मै0 आर0एस0 बिल्डर्स	66.00% above MES SSR 2010
3.	मै0 जुनेजा कन्सट्रक्शनस	66.00% above MES SSR 2010

3. मै0 आर0एस बिल्डर्स एवं मै0 जुनेजा कन्सट्रक्शनस प्रा0 लि0 ने एमईएस एसएसआर 2010 के उपर 66प्रतिशत की न्यूनतम दरें उद्वत की।

4. पिछले 04 वर्षों मे बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरें हैः–

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	अनुमोदित दरें
1.	2013-2014	32% above MES SSR 2010
2.	2014-2015	42% above MES SSR 2010
3.	2015-2016	32.73% above MES SSR 2010
4.	2016-2017	49% above MES SSR 2010

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।
बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

612. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि निविदा कार्य मै0 आर0एस0 बिल्डर्स एवं मै0 जुनेजा कन्सट्रक्शंस प्रा0 लि0 को 50:50 के अनुपात मे बराबर बराबर दे दिया जाए क्योकि दोनो ने समान न्यूनतम दरें उद्वत की है, जो कि अनुमोदित है। कार्य आदेश जारी करने से पहले आवश्यक अनुबंध किया जाए।

६१३. <u>संग्रह स्थलों पर विकेन्द्रीकृत छंटाई का विकास/प्रक्रिया सुविधा की व्यवस्था।</u>

ठोस अपशिष्ठ की प्रक्रिया एवं निस्तारण के सम्बन्ध मे प्र.नि.र.स मध्य कमान पत्र संख्या 54653/एमडब्लूएमआर–2000/कैन्ट/38 दिंनाक 24.05.2017 एवं उक्त पत्र संख्या दिंनाक 02.06.2017 पर विचार करने हेतु।

छावनी क्षेत्र से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ठ मिश्रित प्रकार है एवं जिसमे सडनशील, असडनशील, चक्रणीय एवं अचक्रणीय आदि शामिल है। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन 2016 के प्रावधानों के अनुसार, कूडे को छांटने एवं तद्वनुसार निस्तारण करने की आवश्यकता है। वर्तमान मे, कूडे को इकटठा किया जाता है एवं जिसका निस्तारण ट्रैचिंग ग्राउंड मे किया जाता है जो छावनी परिषद से 13 कि0मी0 दूर है।

निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान ने अपने पत्र दिंनाक 24.05.2017 एवं 02.06.2017 के माध्यम से भूमि/संग्रह स्थलों को चिन्हित कर ठोस अपशिष्ठ को विकेन्द्रीकृत तरीके से करने के निर्देश दिए है। छंटाई का कार्य एक उसी स्थान पर कराया जाना है। निदेशानुसार यह सुविधा दिंनाक 30.06.2017 तक स्थापित करनी है।

छावनी क्षेत्र मे संग्रह स्थलों पर 04 जगह छंटाई की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है जहाँ से छांटा हुआ ठोस अपशिष्ठ उठाकर टैंचिंग ग्राउंड तक लेकर जाना है। अचक्रणीय/अप्रयोगणीय कूडे को भेजा जाएगा एवं बाकि को ठा0अप0प्र0नि0 2016 के अनुसार निस्तारित कर दिदया जाएगा। अभियांत्रिक अनुभाग द्वारा इस सुविधा को स्थापित करने के लिए रू 7.65 लाख का आंकलित खर्च पाया है। बजट व्यवस्था उपलब्ध है।

सम्बन्धित कागजात पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

613. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि 04 संग्रह स्थलों पर रू 7.65 लाख के आंकलित खर्च पर छंटाई कार्य शुरू कराया जाए क्योकिं यह ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत आवश्यक है। मु.अ.अ. सभी खर्च करने के लिए अधिकृत है।

614. सामान्यः

श्रीमती रिनी जैन ने कहा कि छावनी परिषद द्वारा अधिग्रहण की गई आर ए बाजार धर्मशाला मे निम्नलिखित मरम्मत तुरंत आवश्यक हैः–

क) स्नानाघर

ख) बाथरूम

ग) सीडियों की मरम्मत

अध्यक्ष छावनी परिषद ने निर्देश दिया कि तकनीकी स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया जाए एवं विस्तृत आंकलन बोर्ड के समक्ष रखे जाए।

श्रीमती बुशरा कमाल ने कहा कि ऐतिहासिक बी आई मार्केट बुरी हालत मे है एवं जिसमे मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकता है। हालाकि बोर्ड ने पूर्व मे इस पर चर्चा कर निर्णय लिया था परन्तु अभी तक उस पर कोई मरम्मत नही की गई। मु.अ.अ. ने कहा कि बीआई मार्केट के आसपास बहुत सारे पुराने अतिक्रमण है। अध्यक्ष छावनी परिषद ने निर्देश दिया कि तकनीकी स्टाफ द्वारा जगह का निरीक्षण किया जाए। रिपोर्ट एवं आकलन बोर्ड के समक्ष रखे जाए।

बोर्ड ने यह भी संकल्प किया कि मेरठ छावनी की वह नालियाँ जो नगर निगम की नालियों से जुडी है उनकी सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए छावनी परिषद, नगर निगम एवं एमडीए के बीच मॉनसून के पहले कमीश्नर मेरठ खण्ड के माध्यम से एक बैठक आयोजित की जाए।

छावनी क्षेत्र मे आरोग्यविघातक के कारणों के सम्बन्ध मे विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात यह पाया गया कि अवैध डेयरियाँ इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सर्वसम्मति से सभी डेयरियों को छावनी क्षेत्र से आज से 45 दिनों के भीतर हटाने का निर्णय लिया गया। मु.अ.अ. छावनी क्षेत्र से सभी डेयरियों को हटाने/खाली कराने के लिए नोटिस जारी करने एवं सभी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है।

05.06.2017

कृते/–
(राजीव श्रीवास्तव, भा.र.सं.से)
मु.अ.अ/सदस्य सचिव

कृते/–
(मेजर जनरल के0मनमीत सिंह)
अध्यक्ष छावनी परिषद, मेरठ।

नकलकर्ता :

जांचकर्ता :

मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद

कार्यालय अधीक्षक,
छावनी परिषद, मेरठ।